

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)  
सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000



सोलहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 29 सितम्बर 2015  
समय : अपरान्ह 3.00 बजे  
स्थान : संघ मुख्यालय के सभा कक्ष, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित  
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007  
दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594  
E-mail:mfpfed.cg@nic.in \* E-mail:fed\_raipur@cgmfpfed.org \* Website:www.cgmfpfed.org

---

क्रमांक/वनो/संघ/सह./16वीं/वार्षिक आमसभा/2015/ रायपुर दिनांक /09/2015

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त रायपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलौदा-बाजार, गरियाबंद, महासमुन्द एवं धमतरी
3. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त बिलासपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा एवं कटघोरा
4. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त सरगुजा एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ एवं जशपुर नगर
5. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त दुर्ग एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बालोद, खैरागढ़, कवर्धा एवं राजनांदगांव
6. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त जगदलपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दन्तेवाड़ा
7. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, वनवृत्त कांकेर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोण्डागांव

**विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की सोलहवीं (16वीं) वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.09.2015 की सूचना ।**

**संदर्भ :-** कार्यालयीन पृ.पत्र क्रमांक/वनो/संघ/सह./16वीं/वार्षिक आमसभा/2015/9862 रायपुर दिनांक 10/09/2014.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की सोलहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2015 दिन मंगलवार को समय दोपहर 3.00 बजे संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया जाना है ।

वार्षिक आमसभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्राधिकृत अधिकारियों जो वर्तमान में संघ के सदस्य है, की उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

**नोट :-** निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक आमसभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात 3.30 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी ।

वार्षिक आमसभा का एजेण्डा पृथक से भेजा जावेगा ।

## कार्यसूची

विषय क्रमांक 1(क)	पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन
विषय क्रमांक 1(ख)	विशेष साधारण सभा दिनांक 31.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये कार्यों का विवरण
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट की स्वीकृति
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं  
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

## विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
विषय क्रमांक 1(क)	पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन	1-6
विषय क्रमांक 1(ख)	विशेष साधारण सभा दिनांक 31.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन	7-10
2.	वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये कार्यों का विवरण	11-56
3.	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन	57-62
4.	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट की स्वीकृति	63-68
5.	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन	69
6.	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति	70-71

## विषय क्रमांक - 1(क)

**विषय :- पन्द्रहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 29.09.2014  
के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा वर्तमान में संचालक मण्डल का अवसान होने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई हैं तथा वर्तमान में संचालक मण्डल कार्यरत नहीं है इसलिये संघ की आयोजित पन्द्रहवीं आमसभा की अध्यक्षता संघ की उपविधि क्रमांक 14(3) में रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने के प्रावधानानुसार श्री आर.पी.मंडल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर के अध्यक्षता में 15वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2014 दिन सोमवार को समय दोपहर 3.00 बजे से संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रारंभ की गई ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-**

1. श्री आर.पी.मंडल, अध्यक्ष  
प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर
2. श्री श्रीनिवास राव, प्राधिकृत अधिकारी  
मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
खैरागढ़, बालोद, कवर्धा एवं राजनांदगांव
3. श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव, प्राधिकृत अधिकारी  
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, बिलासपुर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा एवं  
कटघोरा
4. श्री एम.टी.नंदी, प्राधिकृत अधिकारी  
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, जगदलपुर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, बीजापुर
5. श्री पी.व्ही.नरसिम्हाराव, प्राधिकृत अधिकारी  
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, रायपुर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलौदा-बाजार

**6. श्री अरुण कुमार पांडेय,**

**प्राधिकृत अधिकारी**

मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, कांकेर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ  
कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, नारायणपुर,  
पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर

**7. श्री बी.एल सरन,**

**प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

पन्द्रहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे :-**

**1. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, सरगुजा**

**प्राधिकृत अधिकारी**

प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव क्रमांक	विषय	संकल्प	की गई कार्यवाही
1	चौदहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों कापालन प्रतिवेदन ।	पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा द्वारा चौदहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 04.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
2	वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक आमसभा में संघ के प्रबंध संचालक, द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया । आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

3	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक, द्वारा संघ में वर्ष 2015-16 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण आमसभा में प्रस्तुत किया गया । आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये 15वीं साधारण सभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
5	वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
6	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान कारक उत्तर प्रेषित करने बाबत ।	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप एवं अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में संघ द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रेषित निराकरण प्रतिवेदन आमसभा द्वारा अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
<b>अतिरिक्त विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</b>			
7	मूलभूत सुविधा के विकास के कार्य की राशि को स्वच्छता अभियान के तहत	प्रमुख सचिव, वन द्वारा सदस्यों से शासन की स्वच्छता अभियान संबंधी चर्चा में शासन के निर्देश के तारतम्य में निर्देशित किया गया कि	समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, छ.ग. को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 12769 दिनांक 21.11.2014 से निर्देश दिए गये ।

	सार्वजनिक शौचालय निर्माण बाबत् ।	मूलभूत सुविधाओं के अवशेष राशि से स्वच्छता अभियान के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाये । शौचालय के निर्माण में क्लस्टर एप्रोच अपनाया जावे ताकि उसके रख रखाव एवं निगरानी में सुविधा हो ।	
8	महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को स्थानीय आवश्यकता अनुसार चप्पल वितरण बाबत् ।	उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि ग्रामीण महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों द्वारा वर्तमान में वितरित चप्पल से भिन्न चप्पल की मांग की जाती है । चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि तेन्दूपत्ता संग्राहक के मांग के अनुरूप चप्पल वितरण हेतु संघ द्वारा विचार किया जावे ।	शासन के समक्ष संघ द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर वर्ष 2015 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2015 में पुरुष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को एक जोड़ी चरण पादुका वितरण की जावे, तदानुसार कार्यवाही की जा रही है । आगामी वर्ष हेतु पुनः छ.ग.शासन को नोटशीट जावक क्रमांक 10172 दिनांक 21.09.2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।
9	तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि बाबत् ।	दुर्ग एवं कांकेर के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने सुझाव दिया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जावे । जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि वृद्धि किये जाने हेतु संघ द्वारा विचार किया जावे ।	प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन वन विभाग को पत्र क्रमांक/वनो/सह/ 2015/7427 दिनांक 15.07.2015 से लेख किया गया है ।



10	लाख प्रशिक्षण केन्द्र के सेट-अप बाबत् ।	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कांकेर ने लाख विकास योजना अंतर्गत निर्मित लाख प्रशिक्षण केन्द्र के सेट-अप जल्द स्वीकृत किये जाने का सुझाव दिया तथा निवेदन किया कि जब तक सेट-अप स्वीकृत नहीं होता है, अस्थायी व्यवस्था की जावे । उपस्थित सदस्यों द्वारा संघ द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।	लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, कांकेर के प्रस्तावित सेट-अप की कार्यवाही हेतु संचालक मण्डल की 57वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/कार्यदल/लाख/2015 4978 दिनांक 13.05.2015 एवं पत्र क्रमांक 9223 दिनांक 21.08.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर को लेख किया गया है । स्वीकृति अपेक्षित है ।
11	अबिक्रित तेन्दूपत्ते की इकाईयों में बोरा भर्ती दर में वृद्धि करने बाबत् ।	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कांकेर एवं दुर्ग ने निवेदन किया कि अबिक्रित तेन्दूपता भण्डारण हेतु बोरा भर्ती की दर कम होने से समस्याएं आ रही है । अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि बोरा भर्ती दर में वृद्धि हेतु संघ द्वारा विचार किये जावे ।	समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित छ.ग. को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/उत्पा/2015/3904 दिनांक 09.04.2015 द्वारा लेख किया गया है
12	तेन्दूपत्ते कार्य में संलग्न मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियनों हेतु प्रतिमाह 10 दिवस वाहन किराये पर लिये जाने की मांग बाबत् ।	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कांकेर, जगदलपुर एवं दुर्ग ने निवेदन किया कि नक्सली क्षेत्रों में मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियनों को शासकीय वाहन से भ्रमण करने में असुरक्षा रहती है । अतः माह में अधिकतम 10 दिवस तक वाहन किराये पर लिये जाने की मांग पर विचार किये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।	नक्सल प्रभावित जिलों की सूची प्रदान करने हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल आपरेशन, पुलिस मुख्यालय नया रायपुर को पत्र क्रमांक/वनो/सह./2015/9275 दिनांक 22.08.2015 एवं राज्य अतिथिगणो के परिवहन उपयोग हेतु इनोवा कार के लिये निर्धारित दर, नियम एवं शर्तों हेतु राज्य शिष्टाचार अधिकारी छ.ग. शासन मंत्रालय नया रायपुर को पत्र क्रमांक/वनो/सह/2015/8002 दिनांक 27.07.2015 एवं 8900

			दिनांक 14.08.2015 द्वारा लेख किया गया है । जानकारी अप्राप्त है ।
13	5000 मिट्टिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण बाबत ।	दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर एवं रायपुर के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा 5000 मिट्टिक टन क्षमता वाले 5-5 गोदाम तथा बिलासपुर एवं रायपुर द्वारा 2-2 गोदाम निर्माण की मांग की गई । वर्तमान में निर्मित गोदाम की क्षमता कम होने से तेन्दूपत्ते/सालबीज तथा अन्य वनोपज के भण्डारण में परेशानी हो रही है । अतः अधिक क्षमता वाले गोदाम संघ के स्वयं की पूंजी से अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण लेकर निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया । प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, वन विभाग द्वारा गोदाम निर्माण संबंधी चर्चा पर प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।	कैम्पा मद से 5 गोदाम (प्रत्येक 30.00 लाख रुपये) निर्माण हेतु 1.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । संघ के पत्र क्रमांक/वनो/संघ/का.द/कैम्पा/गोदाम/2015/9888 दिनांक 11.09.2015 द्वारा उपरोक्त राशि शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) को लेख किया गया है । राशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा ।

अन्त में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

## विषय क्रमांक - 1 (ख)

**विषय :- विशेष साधारण सभा दिनांक 31.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की विशेष साधारण सभा वर्तमान में संचालक मण्डल का अवसान होने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई हैं तथा वर्तमान में संचालक मण्डल कार्यरत नहीं है इसलिये संघ की आयोजित विशेष साधारण सभा श्री अनिल कुमार साहू, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2015 दिन मंगलवार को समय दोपहर 3.00 बजे से संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रारंभ की गई ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 01. श्री अनिल साहू<br>सचिव,<br>छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर   | सचिव<br>छ.ग.शासन     |
| 02. श्री व्ही.श्रीनिवास राव,<br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, दुर्ग<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>खैरागढ़, बालोद, कवर्धा एवं राजनांदगांव                                       | प्राधिकृत<br>अधिकारी |
| 03. श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव,<br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, बिलासपुर<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़,<br>कोरबा एवं कटघोरा | प्राधिकृत<br>अधिकारी |
| 04. श्री एम.टी.नंदी,<br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, जगदलपुर<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, बीजापुर  | प्राधिकृत<br>अधिकारी |
| 05. श्री पी.व्ही.नरसिम्हाराव,<br>मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, रायपुर<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलौदा-बाजार                                     | प्राधिकृत<br>अधिकारी |

**06. श्री यू.एस.करवार (प्रतिनिधि)**

द्वारा अरूण कुमार पांडेय,

मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, कांकेर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ  
कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, नारायणपुर,  
पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर

प्राधिकृत  
अधिकारी

**07. श्री बी.एल सरन,**

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

विशेष साधारण सभा की बैठक में श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे :-**

**01. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, सरगुजा**

प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,

जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया

प्राधिकृत  
अधिकारी

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा विशेष साधारण सभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के प्राधिकृत अधिकारी जो वर्तमान में संघ के सदस्य है, का हार्दिक स्वागत किया गया । तदुपरान्त आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प	की गई कार्यवाही
1	छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करने विषयक ।	छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा करने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, शर्तें एवं दरों के अधीन पैनल में जिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का मुख्यालय या	पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पैनल में से जिनके रायपुर में मुख्यालय/ब्रांच हो ऐसे 105 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से दिनांक 16.07.2015 तक ऑफर बुलाये गये थे । जिसके आधार पर न्यूनतम ऑफरकर्ता मेसर्स मुकुन्द

	<p>शाखा रायपुर शहर में स्थित हो उन सभी संपरीक्षको से ऑफर प्राप्त कर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले संपरीक्षक से संपरीक्षा कराये जाने हेतु साथ ही लघुवनोपज संघ के अधीन जिला यूनियनों/प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की स्वयं की कार्यशील पूंजी के परिमाण के आधार पर निर्धारित अंकेक्षण शुल्क बाबत पंजीयक से सलाह प्राप्त की जाने बाबत प्रबंध संचालक, लघुवनोपज संघ को अधिकृत किया जाता है ।</p>	<p>शिवा एवं एसोसिएट रायपुर को संपरीक्षा शुल्क राशि रूपये 14990/- पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनो/संघ/लेखा/2015/226 दिनांक 04.08.2015 द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया है ।</p>
--	--	---

**अतिरिक्त विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-**

2	<p>नया रायपुर के ग्राम तूता में कार्यालय भवन हेतु आर्बटित भूमि में भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।</p>	<p>नया रायपुर में संघ कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संघ द्वारा अधिकृत एजेन्सी नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुमोदन की प्रत्याशा में 2309.19 वर्गमीटर सुपर बिल्ट अप एरिया हेतु राशि रूपये 15.35 करोड़ व्यय करने के प्रस्ताव पर नया रायपुर विकास प्राधिकरण की पुष्टि के उपरान्त ही विशेष आमसभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है । पूर्व में संचालक</p>	<p>छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 07-02/2013/10-2 दिनांक 27.07.2015 द्वारा नया रायपुर के ग्राम तूता में नया रायपुर विकास प्राधिकरण से राशि रूपये 15.62 करोड़ की लागत से कार्यालय भवन निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निर्माण हेतु प्रथम किश्त की राशि रूपये 5.21 करोड़ निर्गमित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है । कार्यकारी संचालक संघ</p>
---	--	--	---

		<p>मण्डल की 52वीं बैठक प्रस्ताव क्रमांक 52:21 के संदर्भ में पुनः संशोधित प्रस्ताव पर वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ से भी स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे ।</p>	<p>के आदेश क्रमांक/वनो/पंजी/सह/ 2015/04 दिनांक 30.07.2015 द्वारा भी इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।</p> <p>दिनांक 05.08.2015 को नया रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को 5.21 करोड़ रुपये राशि निर्गमित की जा चुकी है ।</p>
3	<p>छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करने विषयक ।</p>	<p>छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा कराने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, शर्तें एवं दरों के अधीन पैनल में जिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का मुख्यालय या शाखा रायपुर शहर में स्थित हो उन सभी संपरीक्षको से ऑफर प्राप्त कर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले संपरीक्षक से संपरीक्षा कराये जाने हेतु, साथ ही लघुवनोपज संघ के अधीन जिला यूनियनों/प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की स्वयं की कार्यशील पूंजी के परिमाण के आधार पर निर्धारित अंकेक्षण शुल्क बाबत पंजीयक से सलाह प्राप्त की जाने बाबत प्रबंध संचालक, लघुवनोपज संघ को अधिकृत किया जाता है ।</p>	<p>पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पैनल में से जिनके रायपुर में मुख्यालय/ब्रांच हो ऐसे 105 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से दिनांक 16.07.2015 तक ऑफर बुलाये गये थे । जिसके आधार पर न्यूनतम ऑफरकर्ता मेसर्स मुकुन्द शिवा एवं एसोसिएट रायपुर को संपरीक्षा शुल्क राशि रुपये 14990/- पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनो/संघ/लेखा/2015/250 दिनांक 10.09.2015 द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया है ।</p>

## विषय क्रमांक - 2

**विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये कार्यों का विवरण ।**

### **(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना -**

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में दिनांक 10.09.2015 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

### **(ii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -**

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 30,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 37,500/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 75,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छैमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की आधी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा एवं शेष आधी राशि का 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2015-16 में माह अगस्त 2015 तक कुल 384 व्यक्तियों को रुपये 1.27 करोड़ का दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के छात्रवृत्ति हेतु कुल 50,462 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रुपये 6.055 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वितरित जा चुकी है ।

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी.आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जावेगी ।

### **(iii) सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया अतिरिक्त परिवार के शेष ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है, लगभग 17,00,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रुपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रुपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । वर्ष 2015-16 में माह अगस्त 2015 तक कुल 1220 व्यक्तियों को रुपये 0.51 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में रूपये 6500/- का भुगतान हितग्राहियों को और किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2015-16 में माह अगस्त 2015 तक कुल 1208 व्यक्तियों को रूपये 0.79 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

#### (iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना -

दिनांक 01 मई 2015 से भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, को छत्तीसगढ़ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी लागू किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष आयु समूह के सभी बचत बैंक खाताधारियों को रु.12 प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि देने पर दिनांक 01 जून 2015 से 31 मई 2016 की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा राशि का प्रावधान है।

इसी प्रकार उक्त अवधि में दुर्घटना में स्थाई विकलांगता होने पर रु. एक लाख की बीमा राशि का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14.09.2015 की स्थिति में 12,30,522 तेन्दूपत्ता सदस्यों का बीमा कराया गया है।

#### (v) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :-

(क) **मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30 जून 2015 की स्थिति में 3840 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 96.42 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(ख) **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष



अधिकतम कुल 4 वर्षों में 25,000/-की राशि उपलब्ध करायी जाती है । राज्य शासन की मंशानुरूप बस्तर क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में नर्सों की अत्यधिक कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, द्वारा प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में एक बच्चे को प्रथम वर्ष में 10,000/- तथा द्वितीय एवं पश्चात्पूर्वी वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 04 वर्षों में रूपये 25,000/- छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30 जून 2015 की स्थिति में 292 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 24.05 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) **गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति** :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी. कॉम., आदि में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, को प्रथम वर्ष में 5000/-, द्वितीय वर्ष में 4000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रूपये 12000/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2014-15 में कुल 1163 छात्र/छात्राओं के कुल राशि रूपये 53.50 लाख का भुगतान किया चुका है ।

(घ) **तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना** :- तेन्दूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिनके 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 15000/- रूपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 25000/- दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में कक्षा 10वीं में कुल 358 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 52.20 लाख एवं कक्षा 12वीं में कुल 256 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 64.00 लाख का भुगतान किया गया ।

(vi) **तेन्दूपत्ते का व्यापार -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, जिसमें से अग्रिम में विक्रित लाटों में 12.91 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 344.99 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 2672/- प्रति मानक बोरा रहा । अग्रिम में अविक्रित लाटों में 1.80 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण

किया गया । वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी । भण्डारित लाटों की समस्त मात्रा 1.80 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 17.13 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 952/- प्रति मानक बोरा रहा ।

जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ख-1' एवं परिशिष्ट 'ख-2' में संलग्न है ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, जिसमें से अग्रिम में विक्रित लाटों में 13.00 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 313.19 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2408/- प्रति मानक बोरा रहा । अग्रिम में अविक्रित लाटों में 1.27 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया । वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी । भण्डारित लाटों में से 1.26 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 21.43 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 1703/- प्रति मानक बोरा रहा ।

शेष अविक्रित 1 लाट में 1136.935 मानक बोरा तेन्दूपत्ते का विक्रय माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 में की जावेगी । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ख-3' एवं परिशिष्ट 'ख-4' में संलग्न है ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.44 लाख मानक बोरा में से 881 लाटों की 15.09 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 401.02 करोड़ में किया गया । इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 2657/- प्रति मानक बोरा है । शेष अविक्रित 69 लाटों की अधिसूचित मात्रा 1.35 लाख मानक बोरा में 0.38 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण किया गया । वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है ।

जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 881 लाटों में से 1 लाट में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 880 लाटों में 12.63 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 336.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2663/- प्रति मानक बोरा रहा । अविक्रित 69 लाटों में से 27 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार कुल 28 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ । 42 लाटों में 0.38 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर, गोदामीकृत किया गया । कुल लगभग 13.01 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण हुआ है जिसके आधार पर लगभग 156.13 करोड़ रूपये संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उपलब्ध हुआ । गोदामीकृत 42 लाटों में से 12 लाटों की मात्रा 11489.604 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 3.23 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2863/- प्रति मानक बोरा रहा ।

शेष अविक्रित 30 लाटों में 0.26 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते का विक्रय माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 में की जावेगी । जिला यूनियनवार निर्वर्तित लाटों तथा अनिर्वर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ख-5' एवं परिशिष्ट 'ख-6' में संलग्न है ।

**(vii) हर्षा का व्यापार -**

संग्रहण वर्ष 2013-14 में कुल 39 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 49050 क्विंटल हर्षा में से 21 इकाईयों का 36950.00 क्विंटल हर्षा का अग्रिम विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 3.06 करोड़ तथा औसत विक्रय मूल्य रु. 828/- प्रति क्विंटल है । अग्रिम में विक्रित इकाईयों में 13098.57 क्विंटल हर्षा एवं 538.75 क्विंटल कचरिया का संग्रहण किया गया है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 1.18 करोड़ है तथा औसत विक्रय मूल्य रु. 831/- प्रति क्विंटल है । अग्रिम में अविक्रित इकाईयों में 1460.608 क्विंटल हर्षा एवं 83.22 क्विंटल कचरिया संग्रहण कर गोदामीकृत किया गया है जिसमें से 8 इकाईओं का 1441.828 क्विंटल हर्षा एवं 83.22 क्विंटल कचरिया का विक्रय रूपये 0.12 करोड़, औसत विक्रय मूल्य रु. 753/- प्रति क्विंटल में किया गया । संग्रहण वर्ष 2013-14 में हर्षा की संग्रहण दर रु. 650/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 1300/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्षा की रूपये 2275/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं ।

शेष इकाईयों की 18.78 क्विंटल हर्षा का विक्रय माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 में की जावेगी । संग्रहण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'ग-1', एवं 'ग-2' में संलग्न है ।

**(viii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार -**

कुल्लू वृक्षों में पुनरुत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2014-15 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 20000/- प्रति क्विंटल, द्वितीय श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 15000/- प्रति क्विंटल एवं तृतीय श्रेणी के लिये रु. 10800/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 360 क्विंटल में से 1 इकाई की अधिसूचित मात्रा 100 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.03 करोड़ में किया गया । औसत विक्रय दर रु. 22171/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है । जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी का 5.58 क्विंटल, द्वितीय श्रेणी का 9.69 क्विंटल एवं तृतीय श्रेणी का 25.00 क्विंटल गोंद का संग्रहण हुआ है । संग्रहण वर्ष 2014-15 की अग्रिम में अविक्रित 4 इकाईयों में से 1 इकाई में संग्रहित प्रथम श्रेणी का 5.58 क्विंटल, द्वितीय श्रेणी का 9.69 क्विंटल गोंद का विक्रय माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 में की जावेगी ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2015-16 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 20000/- प्रति क्विंटल, द्वितीय श्रेणी के लिये संग्रहण दर

रु. 15000/- प्रति क्विंटल एवं तृतीय श्रेणी के लिये रु. 10800/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 410 क्विंटल के विक्रय हेतु दिनांक 09.06.2015 से दिनांक 11.06.2015 तक एवं दिनांक 25.07.2015 से दिनांक 29.07.2015 तक आयोजित ई-नीलाम में 1 इकाई की अधिसूचित मात्रा 100 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.20 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 20101/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है। अविक्रित इकाइयों के निवर्तन हेतु दिनांक 09.09.2015 से दिनांक 14.09.2015 तक ई-नीलाम आयोजित किया गया था जिसमें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'घ-1' एवं 'घ-2' में संलग्न है।

**(ix) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) -**

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2014-15 हेतु धावड़ा की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल तथा खैर/बबूल की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। संग्रहण वर्ष 2014-15 में कुल 21 इकाइयों अधिसूचित मात्रा 920 क्विंटल में से 2 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 60 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.02 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 3511/- रही है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक गोंद वर्ग-2 (धावड़ा गोंद) गोंद का संग्रहण नहीं हुआ है।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2015-16 हेतु धावड़ा की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल तथा खैर/बबूल की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। संग्रहण वर्ष 2015-16 में कुल 21 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 920 क्विंटल के विक्रय हेतु दिनांक 09.06.2015 से दिनांक 11.06.2015 तक एवं दिनांक 25.07.2015 से दिनांक 29.07.2015 तक आयोजित ई-नीलाम में 2 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 60 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.019 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 3100/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है परंतु इन लाटों में संग्रहण नहीं हुआ।

संग्रहण वर्ष 2015-16 की अविक्रित 19 इकाई की 860 क्विंटल के निवर्तन हेतु दिनांक 09.09.2015 से दिनांक 14.09.2015 तक ई-नीलाम आयोजित किया गया था, जिसमें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाइयों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'घ-3' एवं 'घ-4' में संलग्न है।

**(x) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना** - भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों को पर्याप्त संग्रहण मूल्य उपलब्ध हो, इसलिए **“Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP”** योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में निम्न वनोपज का संग्रहण कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज के क्रय हेतु वनोपज संघ को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रु. 153.66 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष

2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रू. 25.39 करोड़ इस प्रकार कुल रू. 179.05 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। राज्य शासन से राशि रू. 24.50 करोड़ प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। उक्त योजना की जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में “राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति” का गठन किया गया है।

1. **सालबीज** - उक्त योजनान्तर्गत सालबीज का समर्थन मूल्य रू. 10/- प्रति किलो घोषित किया गया है। प्रदेश में सालबीज जो पूर्व में विनिर्दिष्ट वनोपज थी, को राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.05.2014 जारी कर विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से विलोपित किया गया तथा भारत शासन की उक्त योजना के अन्तर्गत क्रय करने का निर्णय लिया गया। संघ द्वारा संग्रहण वर्ष 2014 में उक्त राशि से समर्थन मूल्य रू. 10/- प्रति किलो पर सालबीज का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 1.25 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रू. 12.57 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। 1.25 लाख क्विंटल सालबीज में से 716.375 क्विंटल सालबीज सुखत तथा 1.23 लाख क्विंटल सालबीज का निवर्तन रू. 16.50 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 1341/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है। अविक्रीत 3 लाटों की 1913.190 क्विंटल सालबीज का माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 की अवधि में निवर्तन की कार्यवाही जावेगी। जिला यूनियनवार निर्वर्तित लाटों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है।

संघ द्वारा संग्रहण वर्ष 2015 में उक्त राशि से समर्थन मूल्य रू. 10/- प्रति किलो पर सालबीज का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक 1.02 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रू. 10.24 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' के कॉलम क्रमांक 3 पर दर्शाया गया है।

माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 की अवधि में संग्रहित सालबीज का निवर्तन की कार्यवाही जावेगी।

2. **चिरौंजी गुठली** - उक्त योजनान्तर्गत चिरौंजी गुठली का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 100/- प्रति किलो की दर पर चिरौंजी गुठली का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 6065.88 क्विंटल चिरौंजी गुठली का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रू. 6.07 करोड़

संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' के कॉलम क्रमांक 4 पर दर्शाया गया है।

3. **महुआ बीज** - उक्त योजनान्तर्गत महुआ बीज का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 22/- प्रति किलो की दर पर महुआ बीज का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 3476.33 क्विंटल महुआ बीज का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रु. 0.76 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' के कॉलम क्रमांक 5 पर दर्शाया गया है।
4. **कुसुमी लाख** - उक्त योजनान्तर्गत कुसुमी लाख का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 320/- प्रति किलो की दर पर कुसुमी लाख का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 2369.34 क्विंटल कुसुमी लाख का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रु. 7.58 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' के कॉलम क्रमांक 6 पर दर्शाया गया है।
5. **रंगीनी लाख** - उक्त योजनान्तर्गत रंगीनी लाख का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 230/- प्रति किलो की दर पर रंगीनी लाख का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 1316.48 क्विंटल रंगीनी लाख का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रु. 3.03 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' के कॉलम क्रमांक 7 पर दर्शाया गया है।
6. **हरा** - उक्त योजनान्तर्गत हरा का समर्थन मूल्य रु. 11/- किलो घोषित किया गया। हरा जो पूर्व में विनिर्दिष्ट वनोपज थी, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.08.2014 जारी कर विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से विलोपित की गई। संग्रहण वर्ष 2014-15 में उक्त राशि से समर्थन मूल्य रु. 11/- प्रति किलो पर हरा का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 0.34 लाख क्विंटल हरा का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रु. 3.76 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। संग्रहित हरा के निवर्तन हेतु हेतु **NCDEX e Markets Ltd., Mumbai** के ई-नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 08.06.2015 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 10.06.2015 को दोपहर 14.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त) एवं

दिनांक 24.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 28.07.2015 को दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त) ई-नीलाम आयोजित की गई थी। इन नीलामों में बोली कम प्राप्त होने के कारण वनोपज राजकीय अन्तर्विभागीय समिति द्वारा समस्त बोलियों को अमान्य कर दिया गया। हर्षा के विक्रय हेतु पुनः **NCDEX e Markets Ltd., Mumbai** के ई-नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 07.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 11.09.2015 को दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensios अतिरिक्त) ई-नीलाम आयोजित की गई थी, जिसमें प्राप्त बोली के आधार पर 5319.90 क्विंटल हर्षा का विक्रय रु. 0.37 करोड़ में किया गया तथा औसत विक्रय दर रु. 702/- प्रति क्विंटल रहा। शेष हर्षा के निवर्तन हेतु रु. 700/- प्रति क्विंटल या उससे अधिक दर से प्रथम आगम प्रथम प्रदाय प्रक्रिया से निवर्तन की कार्यवाही की जावेगी। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा एवं निवर्तन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'छ' में संलग्न है।

7. **इमली** - उक्त योजनान्तर्गत इमली का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 22/- प्रति किलो की दर पर इमली का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 11 लाटों में 0.35 लाख क्विंटल इमली का संग्रहण किया गया। संग्रहणकर्ताओं को रु. 7.70 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। संग्रहित इमली के निवर्तन हेतु **NCDEX e Markets Ltd., Mumbai** के ई-नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 10.06.2015 से दिनांक 12.06.2015 तक आयोजित प्रथम ई-नीलाम में किसी भी लाट हेतु बोली प्राप्त नहीं हुई। पुनः इमली के विक्रय हेतु **NCDEX e Markets Ltd., Mumbai** के ई-नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 03.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 07.07.2015 को दोपहर 14.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त) ई-नीलाम आयोजित की गई थी। इस नीलाम में बोली कम प्राप्त होने के कारण वनोपज राजकीय अन्तर्विभागीय समिति द्वारा समस्त बोलियों को अमान्य किया गया। इमली के विक्रय हेतु पुनः **NCDEX e Markets Ltd., Mumbai** के ई-नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 07.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 10.09.2015 को दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensios अतिरिक्त) ई-नीलाम आयोजित की गई थी, जिसमें प्राप्त बोली के आधार पर 6145.15 क्विंटल इमली का विक्रय रु. 1.48 करोड़ में किया गया तथा औसत विक्रय दर रु. 2410/- प्रति क्विंटल रहा। जिला यूनियनवार संग्रहित मात्रा का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ज' में संलग्न है।

**(xi) वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 में कुल 14.71 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रुपये 100.40 करोड़ 754 समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई। प्राथमिक वनोपज सहाकारी समितियों द्वारा उक्त में से दिनांक 07.09.2015 की स्थिति में राशि रुपये 91.55 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की जा चुकी है, शेष राशि का वितरण कार्य प्रगति पर है। संग्रहण वर्ष 2013 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य एवं वितरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'झ' में संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि लगभग रुपये 70 करोड़ शासन के निर्देश उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा।

**(xii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य -**

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहाकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियनों को दिए गए हैं। वर्ष 1998 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 93.98 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि रु. 80.33 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ज' में संलग्न है।

**(xiii) वन एवं वनोपज विकास के कार्य -**

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ (व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि) के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं। इस योजना के तहत वनमंडल के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों के बांस रोपण।



3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हर्षा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार 43.84 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ट' में संलग्न है ।

#### (xiv) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय एवं अधिकांश जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है । संघ के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं ।

#### (xv) संघ विभाजन संबंधी विवाद -

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्व मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है । उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

#### (xvi) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई

है । यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है । इस सुविधा में अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है । इस नई प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) के मुख पृष्ठ (**Home page**) में एक **Link online payment module** उपलब्ध कराया गया है । क्रेता द्वारा उक्त **Link** को **Click** करने पर एक इनपुट फार्म खुलेगा, उक्त फार्म में राशि जमा करने वाले क्रेता द्वारा क्रमशः क्रेता का नाम, आयकर पी.ए.एन., ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लाट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धन कर, आयकर ब्याज, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रत्येक लाट हेतु पृथक-पृथक फार्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत **Submit Button** को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिंट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा आर.टी.जी.एस. हेतु निर्धारित फार्म में भरकर चालान में अंकित राशि को आर.टी.जी.एस. करेगा । क्रेता द्वारा आर.टी.जी.एस. करने एवं राशि संघ के खातों में जमा होने की पुष्टि पश्चात ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों, क्रेता एवं संघ मुख्यालय को ई-मेल द्वारा स्वतः प्राप्त हो जावेगी । लघु वनोपज संघ मुख्यालय द्वारा ई-मेल से प्राप्त उक्त मनी रसीदों के आधार पर प्राप्त राशि का मिलान संबंधित बैंक खाता से करने के बाद संघ की लेखा पुस्तिका में प्रविष्टि कर उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय को प्रमाणक दिनांक निम्न प्रपत्र में संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातों में जमा कराई जा रही है ।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्व वर्षों में संघ के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किये गये थे किन्तु जिला स्तर उक्त खातों से भुगतान में आ रही कठिनाईयों के कारण अब वर्तमान में जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत खाता क्रमांक 00399005900000058 सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शुन्य बैलेंस खातों खोले गये हैं । जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं । इस व्यवस्था के तहत जिला यूनियन आवश्यकतानुसार उक्त खातों से प्रतिदिन राशि रुपये 2.00 करोड़ तक के भुगतान कर सकती है एवं उनके द्वारा आहरित/भुगतान की गई राशि प्रतिदिन रायपुर स्थित सेन्ट्रल खाते से जिलों में स्थित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है ।

**(xvii) पुरुष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -**

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल वितरित करने का निर्णयानुसार 12.53 लाख जोड़ी चप्पल रूपये 135.20 प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा चुकी है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2015-16 में 12.32 लाख जोड़ी चरणपादुका रूपये 142.00 प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला यूनियनवार वर्ष 2014-15 में वितरित चप्पल की संख्या तथा वर्ष 2015-16 हेतु आवश्यक चरणपादुकाओं की संख्या एवं उपलब्ध करायी गयी चरणपादुका की संख्या की जानकारी 'परिशिष्ट-ठ' में संलग्न है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से प्रावधानित राशि रूपये 20.00 करोड़ प्राप्त होना शेष है।

**(xviii) तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि -**

विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो अपने कार्य के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्रहण/भण्डारण कार्य संपादित करते हैं, 15वीं वार्षिक आसमभा दिनांक 29.09.2014 में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव पारित करते हुये छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग से स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। वर्तमान में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है -

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	राशि
1.	जोनल अधिकारी	4000/-
2.	परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक (प्रत्येक फड़ हेतु केवल एक) गोदाम प्रभारी एवं गोदाम पर कार्य करने वाले कर्मचारी, तेन्दूपत्ता परिवहन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक के स्टेनोग्राफर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय/वनमंडल कार्यालय एवं वन संरक्षक कार्यालय में तेन्दूपत्ता शाखा में पदस्थ लिपिकीय अमला।	3000/-
3.	वन संरक्षक, प्रबंध संचालक एवं जोनल अधिकारियों के वाहन चालक एवं अन्य वाहन चालक, परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत लिपिक।	1800/-

उन समितियों के फड़ अभिरक्षक, पोषक अधिकारी एवं जोनल अधिकारी को उपरोक्तानुसार दर्शाई राशि का 75 प्रतिशत ही देय होता है, जिनका पत्ता संग्रहण से पूर्व अग्रिम में विक्रय होकर क्रेता नियुक्त हो चुका है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समीक्षाकर संबंधित का कार्य संतोष जनक होने पर भुगतान किया जाता है ।

**(xix) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को बीमित राशि उपलब्ध हो सके । प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 में 867 समिति प्रबंधको का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनांतर्गत कराया गया था । वर्ष 2015-16 में 859 समिति प्रबंधकों का पुनः प्रबंधक समूह बीमा योजना का नवीनीकरण कराया गया है, जो दिनांक 18.03.2015 से 17.03.2016 तक मान्य रहेगा । प्रबंधक समूह बीमा योजना की मास्टर पॉलिसी नम्बर ई.जी.आई. 151281 है । वर्तमान में बीमित प्रबंधकों की मृत्यु होने पर उनके नामित द्वारा क्लेम की राशि रुपये 25,000/- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संघ को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात संघ द्वारा नामित के खाते में जमा कराई जाती है ।

**(xx) वनोपज सहकारी संस्थाओं का संचालक मण्डल -**

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल का गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो गया है । इसी प्रकार जिला यूनियन का दिनांक 06.07.2013 को एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का दिनांक 11.09.2013 को कार्यकाल समाप्त हो गया है । अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में बहिर्गामी प्रबंध समिति के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अधीन कार्यवाही करते हुये समस्त समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसी प्रकार जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में भी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(4)(8) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में भी बहिर्गामी प्रबंध समिति के संचालकों द्वारा स्वमेव पद रिक्त किये जाने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है ।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन 2012) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचित कराये जाने का अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को है । इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को विभिन्न पत्रों द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु लेख किया गया था ।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस हेतु संघ द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलित कर राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर को सीधे भेजने हेतु जिला यूनियनों को पत्र लेख किया गया है।

### **(xxi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त हो गया है। इस नियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त किये गये हैं।

वन विभाग, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ एवं उससे संबंधित जिला यूनियनों व प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने की अवधि, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित किये गये हैं। इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना तथा उससे जुड़ी छात्रवृत्ति, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक वितरण एवं चरणपादुका वितरण आदि के कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/लो.से.गा./2015/8232, 8233 दिनांक 30.07.2015 द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक वनवृत्त छत्तीसगढ़ को पुनः लेख किया गया है।

संघ मुख्यालय द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को अधिनियम की प्रति भेजते हुये अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना के मुख्य-मुख्य प्रावधानों से समिति प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011 के क्रियान्वयन से संबंधित जिला यूनियन की एकजाई जानकारी भेजने हेतु समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ को लेख किया गया है।

### **(xxii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में संघ मुख्यालय द्वारा मुख्यालय स्तर, समस्त वनवृत्त एवं समस्त जिला यूनियनों के लिये अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संघ कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की अद्यतन जानकारी संघ की वेब-साइट में अपलोड की जा चुकी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014 (01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

वर्ष 2015 में दिनांक 31.08.2015 तक प्राप्त 20 आवेदन पत्रों के समयावधि में निराकरण कर कार्यवाही की गई। जानकारी/अभिलेख आवेदकों को उपलब्ध कराये गये हैं। एक अपील प्रकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

### **(xxiii) अकाष्टीय वनोपज विकास**

#### **1. संसाधन संवर्धन -**

छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान हर्बल राज्य के रूप में भी की जाती है। वन क्षेत्रों में अकाष्टीय वनोपज की प्रचुरता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन तथा विकास हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना” की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्टीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन प्रसंस्करण, प्रशिक्षण एवं विस्तार तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य संपादित कर वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें रोजगार के अवसर भी दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अगस्त 2015 तक आदिवासी उपयोजना मद के अंतर्गत 2 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर 2000 हेक्टेयर में तथा संघ एवं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के तहत पूर्व दो वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्र के 38000 हेक्टेयर में रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर्यन्त जारी रहेगी।

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत संघ तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में क्रमशः प्रावधानित राशि रु. 265.00 लाख तथा रु. 397.00 लाख से 10-10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों (1000 हे. क्षेत्र प्रति) की स्थापना मार्च 2016 तक किया जाना प्रस्तावित है।

#### **2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण**

##### **2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण**

राज्य में कच्चे लघु वनोपज संग्रहण करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्व-सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात् स्थानीय बाजार अथवा नजदीकी NWFPI मार्ट में उसका विक्रय करते हैं। लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

### 2.1.1. अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ, चिरौजी आदि का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रु. 161.14 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है। स्व-सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय-विक्रय कर आय अर्जित कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह को रुपये 2000/- प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय-विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व-सहायता समूहों को ही है।

### 2.2 लाख विकास

प्रदेश में ग्रामीणों/वनवासियों द्वारा कम श्रम साध्य कार्य होने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से कुसुम, बेर तथा पलाश के वृक्षों पर लाख पालन का कार्य किया जाता है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2015-16 तक लाख विकास योजना मद में लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की 83 परियोजनाओं की स्थापना कर कार्य सम्पादन किया जा रहा है। योजना के तहत जिला यूनियनों को रु. 18.71 करोड़ की राशि प्रदाय की गयी है तथा अगस्त 2015 तक प्रदाय राशि के विरुद्ध रु. 14.96 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि रु. 2.10 करोड़ पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रावधानित कार्यों के लिये प्रदाय किये जावेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक इस परियोजना अवधि में लगभग 13214 हितग्राहियों को योजना में शामिल कर लाख की खेती के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रु. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2014-15 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रु. 11.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध अगस्त 2015 तक रु. 9.70 करोड़ व्यय की गई है। शेष राशि का व्यय अवशेष कार्यों के संपादन में किये जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लाख विकास योजना के माध्यम से स्थापित किये गये कुल 109 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में इन परियोजनाओं के माध्यम से 2103 स्व-सहायता

समूहों के कुल 35052 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। लाख पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि की जानकारी देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो फिल्म तैयार की जाकर जिला यूनियनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा टी.वी.चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

### 2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है। विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। अतः माहुल पत्ता से संग्राहक स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 10 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है। इन ईकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है।

### 2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है। संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है, जिसे “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

## 3. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसकी कुल लागत रु. 23.25 करोड़ थी, जिसे वृद्धि की गई परियोजना अवधि (दिसम्बर 2015 तक) हेतु बढ़ाकर रु. 26.35 करोड़ किया गया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई थी तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु अभी तक कुल राशि रु. 23.70 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है :-



## 1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा -

(1.1) **संसाधन सर्वेक्षण** - परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लाट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर “छत्तीसगढ़ राज्य के वानस्पतिक प्रजातियों का संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन” पुस्तिका का प्रकाशन कर वितरण किया गया है।

(1.2) **हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा** - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार के माध्यम से कुल 3399 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया। वैद्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर “एक दृष्टि में छ.ग. राज्य की परम्परागत चिकित्सा पद्धति” नाम से पुस्तिका के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 48 वनौषधालय स्थापित किये गये हैं तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि रु. 10000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि दी गई है एवं राशि रु. 100 प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदाय किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत समय-समय पर वनौषधालयों में कार्यरत वैद्यों का कौशल विकास एवं कार्यशाला छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर, रायपुर एवं आयुष के माध्यम से किया गया है।

## 2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य -

इस घटक के अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं। प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु स्वीकृत 73 माइक्रोइन्टरप्राइजेस में कुल 1302 समूह के 17196 हितग्राही कार्यरत हैं। इसी प्रकार विपणन के 49 माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्वीकृत हैं। कुल स्वीकृत माइक्रोइन्टरप्राइजेस 122 हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	मा.ई. की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	294.82
		शहद संग्रहण	4	35.00
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	96.57
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	82.00
		वनौषधि	6	141.61

		तैलीय बीज	2	40.00
		माहुल पत्ता	10	214.76
		चिरोँजी	3	44.63
		आँवला	3	33.90
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	2	84.05
	काजू प्रसंस्करण	क्लस्टर लेवल	3	45.30
		काजू संग्रहण	1	39.00
		सेंट्रल लेवल	1	43.06
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	49	81.00
<b>योग :-</b>			<b>122</b>	<b>1295.70</b>

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्सर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइंटरप्राइजेस का लाभ ले सके।

### 3. वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण -

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर), पंचक्की (जशपुर) तथा नारायणपुर में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 81 वनौषधि/हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है।

### 4. शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण -

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है। संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है, जिसे “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

### 5. माहुल पत्ता प्रसंस्करण -

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है। विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। अतः माहुल

पत्ता से संग्राहक स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 10 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है । इन ईकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है ।

## 6. विपणन -

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है । हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “**छत्तीसगढ़ हर्बल्स**” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर तथा पैम्पलेट्स आदि द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
2014-15	94.80	110.64

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में “**संजीवनी**” के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 15 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है । परियोजनांतर्गत कुल 32 संजीवनी की स्थापना की गयी है । हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व-सहायता समूहों को दिया गया है । रायपुर NWFP मार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

## 6.1 मार्केट अध्ययन एवं बाजार सर्वेक्षण -

अकाष्टीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से तथा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल से अध्ययन कराया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य IINRG रांची के माध्यम से कराया गया है।

## 7. अनुसंधान एवं विस्तार -

डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विनाश विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज का विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर पुस्तिका का प्रकाशन संघ द्वारा किया गया है। सी. एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैन्डी प्रसंस्करण केन्द्र एवं बलौदाबाजार में हर्बल खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है। सी. एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल एवं तिखुर से नए उत्पाद तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है।

तिखुर प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु जिला यूनियन धमतरी, दक्षिण कोण्डागॉव एवं नारायणपुर को परियोजना स्वीकृत किया गया है।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को कुल 6 अनुसंधान परियोजना स्वीकृत किये गये थे, जो पूर्ण हो चुके हैं।

## 8. सूचना प्रबंधन प्रणाली -

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 31 जिला यूनियनों, 6 NWFP मार्ट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र को कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो। इससे उत्पाद क्रय-विक्रय संबंधी जानकारी का संकलन आसानी से किया जाता है।

## 9. प्रमाणीकरण -

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से जैविक

प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हेतु दूरदर्शन से एक जिंगल तथा एक फिल्म का भी निर्माण कराया जा चुका है। वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु कुल 23 ऑपरेटरों को पंजीकृत किया गया है। साथ ही जैविक प्रमाणीकरण के कार्यों को बढ़ावा दिये जाने हेतु इस विषय पर प्राथमिक लघु वनोपज समिति के प्रबंधकों हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।

## 10. क्षमता विकास -

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत अकाष्टीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु स्व-सहायता समूहों का क्षमता विकास किया गया है। इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं। हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। Livelihood Basics School, Bhopal तथा IIFM भोपाल से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जाकर उक्त मास्टर ट्रेनर के माध्यम से स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है।

परियोजना अंतर्गत कुल 08 सेमिनार/कार्यशाला - प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. विषयों पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458 स्टाफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 21102 हितग्राहियों, 5003 स्टाफ एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

## यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (जुलाई 2015 की स्थिति में)

क्र.	घटक	आबंटित राशि (रु लाख में)	व्यय राशि (रु लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	399.03	305.66
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1376.05	1236.21
3	विपणन	364.75	340.57

4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	77.58
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	143.95	145.40
6	प्रमाणीकरण	50.40	42.94
7	क्षमता विकास	207.26	193.58
	<b>योग :-</b>	<b>2635.64</b>	<b>2341.94</b>

यूरोपियन कमीशन परियोजना क्रियान्वयन में वर्ष 2013-14 तक किए गए व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया गया है एवं 2014-15 का ऑडिट कराया जा रहा है ।

#### 4. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान -

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2013-14 में रू. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी, जिसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 में रू. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है, जिससे गोदाम निर्माण कराया जावेगा ।

वर्ष 2014-15 में रू. 5.67 करोड़ की परियोजना भेजी गई भेजी गई थी, जिसके विरुद्ध राशि रू. 2.32 करोड़ स्वीकृति हुई है, किन्तु राशि राज्य शासन से अप्राप्त है । उक्त जिसकी प्राप्त होने पर गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया जावेगा ।

#### 5. आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान -

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रू. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में तिखुर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है ।

#### 6. रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता -

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 1500/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परन्तु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32.00 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है । इस राशि से पूर्व में सरगीपाल जगदलपुर में इमली तथा महुआ बीज की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें अब केवल इमली ब्लॉक (Tamarind Block), व इमली कर्नेल पाउडर (TKP-Starch), तैयार किया जावेगा । नयनपुर गिरिवरगंज जिला सरगुजा में माहुल पत्ता, तैलीय बीज एवं चरौटा की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, अब केवल केसिया टोरा पाउडर (Cassia tora

Powder) तथा गोंद (Cassia tora Gum) तैयार किया जावेगा । बिलासपुर में आंवला तथा बेल की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जावेगा जिसमें आंवला जूस (Aonla Juice), स्ववैश (Aonla Squash/ Paste) एवं बेल के उत्पाद तैयार किये जायेंगे । कांकेर में लाख प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा । रायपुर एवं दुर्ग में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु अब दुर्ग में स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाई को रायपुर में ही समाहित कर स्थापित किया जावेगा ।

इस परियोजना के अन्तर्गत सिटकॉन रायपुर से सभी Clusters का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है, जिसमें से जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर एवं रायपुर का Detailed Project Report (DPR) तैयार किया जा चुका है । सरगुजा इकाई को स्थापित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा नयनपुर-गिरिवरगंज जिला सरगुजा में भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गई है, जिसमें Cassia Tora Gum व Cassia Tora Powder Unit तथा रायपुर बरौंडा में 1.5 हेक्टेयर वन विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध है, जिसमें Herbal Extraction and Ayurvedic Medicines (For Both Human & Animal Healthcare) प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिये निर्माण कार्य बाबत दिनांक 15.09.2015 को ई-निविदा आमंत्रित किए गये थे, जिसमें से नयनपुर-गिरिवरगंज में निर्माण कार्य हेतु दो निविदायें तथा रोड निर्माण हेतु 1 निविदा प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार रायपुर बरौंडा में निर्माण कार्य हेतु तीन निविदायें, रोड निर्माण हेतु 1 निविदा तथा जल प्रवाह उपचार संयंत्र (Water Effluent Treatment Plant) के निर्माण हेतु 1 निविदा प्राप्त हुआ है । जिसका परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी । बिलासपुर सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । जगदलपुर एवं कांकेर में प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । जगदलपुर हेतु रु. 6.61 लाख की राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है । वन भूमि आवंटन उपरांत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगे ।

**परिशिष्ट - क**

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी**

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	उप महाप्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	प्रबंधक (लेखा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	3	3	30	22	8	38	25	13
11	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
15	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
17	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
19	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	80	100	180	80	100
20	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	आंतरिक अंकेक्षक	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
23	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
24	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
25	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	लेखापाल	4	4	0	6	5	1	27	16	11	37	25	12
27	कनिष्ठ लेखापाल	7	6	1	0	0	0	21	16	5	28	22	6
28	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	6	0	31	29	2	44	42	2
29	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	टेक्सनामिस्ट (संविदा)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	12	9	6	6	0	61	46	15	88	64	24
32	वाहन चालक	12	12	0	3	3	0	19	8	11	34	23	11
33	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
34	संदेशवाहक	17	8	9	12	9	3	48	32	16	77	49	28
35	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	33	4	37	33	4
36	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	<b>योग :-</b>	<b>109</b>	<b>75</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>464</b>	<b>282</b>	<b>182</b>	<b>612</b>	<b>389</b>	<b>223</b>



संग्रहण वर्ष : 2013

परिशिष्ट 'ख-1'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	25	46695.452	136525102.11	2923.73
सुकमा	48	79500.000	7	15240.990	32085691.60	2105.22
दंतेवाड़ा	13	23500.000	7	23816.785	53584532.79	2249.86
जगदलपुर	15	25500.000	4	7238.167	12926026.85	1785.81
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	5	8664.020	16546546.16	1909.80
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	12	22828.704	48304152.40	2115.94
नारायणपुर	12	21400.000	4	5233.725	9689887.57	1851.43
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	96433.410	291236676.38	3020.08
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	38	64680.105	169848165.64	2625.97
कांकेर	24	41100.000	22	38598.560	113898706.00	2950.85
राजनांदगांव	51	87200.000	50	79210.815	211563720.96	2670.89
खैरागढ़	24	44900.000	21	28507.815	62701368.38	2199.44
दुर्ग	18	28800.000	18	27814.298	72036480.32	2589.91
कवर्धा	24	44400.000	21	28750.290	69417105.51	2414.48
धमतरी	23	32900.000	23	29322.940	79033814.72	2695.29
उदन्ती	19	24900.000	18	22864.135	67186532.38	2938.51
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	63615.471	220128132.56	3460.29
महासमुंद	69	101700.000	68	91043.160	253253843.46	2781.69
रायपुर	16	26900.000	15	23398.545	63194843.07	2700.80
बिलासपुर	16	24700.000	14	19278.890	47574660.59	2467.71
मरवाही	19	29300.000	18	23805.280	66294508.48	2784.87
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	4	4898.370	9222384.31	1882.75
रायगढ़	41	63900.000	41	58389.935	155724645.36	2666.98
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	78399.055	235963766.81	3009.78
कोरबा	34	54600.000	31	44063.500	137845896.22	3128.35
कटघोरा	39	78700.000	35	56373.415	175685297.75	3116.46
जशपुर नगर	20	36600.000	18	28487.345	58942888.90	2069.09
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	18	30288.385	69765163.44	2303.36
कोरिया	16	29400.000	14	30596.715	80459707.67	2629.68
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	26	54894.280	137491274.38	2504.66
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	21	41863.960	92985266.09	2221.13
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	42	95932.445	198829083.67	2072.59
कुल योग	950	1643800.000	792	1291228.962	3449945872.53	2671.83

संग्रहण वर्ष : 2013

परिशिष्ट 'ख-2'

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण					
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीजापुर	27	52598.865	4	5903.413	5903.413	4843196.84	820.41	0.000
सुकमा	15	21301.706	10	6060.716	6060.716	3957196.07	652.93	0.000
दंतेवाड़ा	13	32464.166	6	8647.381	8647.381	5776749.92	668.03	0.000
जगदलपुर	15	27603.675	11	20365.508	20365.508	15815493.21	776.58	0.000
दक्षिण कोंडागांव	11	25494.387	6	16830.367	16830.367	13251938.88	787.38	0.000
उत्तर कोंडागांव	16	31540.525	4	8711.821	8711.821	9696915.84	1113.08	0.000
नारायणपुर	12	21733.321	8	16499.596	16499.596	16169605.42	980.00	0.000
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96433.410	--	--	--	--	--	--
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80688.780	17	16008.675	16008.675	12992456.60	811.59	0.000
कांकेर	24	42492.510	2	3893.950	3893.950	5734591.28	1472.69	0.000
राजनांदगांव	51	80250.085	1	1039.270	1039.270	816866.22	786.00	0.000
खैरागढ़	24	34378.030	3	5870.215	5870.215	6822680.51	1162.25	0.000
दुर्ग	18	27814.298	--	--	--	--	--	--
कवर्धा	24	32625.725	3	3875.435	3875.435	4903867.27	1265.37	0.000
धमतरी	23	29322.940	--	--	--	--	--	--
उदन्ती	19	24230.109	1	1365.974	1365.974	1131026.47	828.00	0.000
पूर्व रायपुर	43	63615.471	--	--	--	--	--	--
महासमुंद	69	91533.135	1	489.975	489.975	643827.15	1314.00	0.000
रायपुर	16	24471.710	1	1073.165	1073.165	1139701.23	1062.00	0.000
बिलासपुर	16	21881.240	2	2602.350	2602.350	3876369.45	1489.56	0.000
मरवाही	19	24337.360	1	532.080	532.080	1073205.36	2017.00	0.000
जांजगीर-चांपा	7	8168.400	3	3270.030	3270.030	3395692.87	1038.43	0.000
रायगढ़	41	58389.935	--	--	--	--	--	--
धरमजयगढ़	53	78399.055	--	--	--	--	--	--
कोरबा	34	47504.415	3	3440.915	3440.915	6351534.15	1845.89	0.000
कटघोरा	39	61845.784	4	5472.369	5472.369	6804296.07	1243.39	0.000
जशपुर नगर	20	32489.035	2	4001.690	4001.690	4615198.71	1153.31	0.000
मनेन्द्रगढ़	20	33551.370	2	3262.985	3262.985	3715391.10	1138.65	0.000
कोरिया	16	34683.835	2	4087.120	4087.120	4394823.16	1075.29	0.000
दक्षिण सरगुजा	28	57749.620	2	2855.340	2855.340	2508953.47	878.69	0.000
पूर्व सरगुजा	30	56584.746	9	14720.786	14720.786	12203834.49	829.02	0.000
उत्तर सरगुजा	52	115020.950	10	19088.505	19088.505	18680522.16	978.63	0.000
कुल योग	906	1471198.593	118	179969.631	179969.631	171315933.90	951.92	0.000

संग्रहण वर्ष : 2014

परिशिष्ट 'ख-3'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	39	73535.680	149334553.02	2030.78
सुकमा	48	79500.000	4	4444.875	8774730.25	1974.12
दंतेवाड़ा	13	23500.000	3	6530.870	11175671.54	1711.21
जगदलपुर	15	25500.000	1	1279.075	2176985.65	1702.00
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	5	10317.031	18145180.70	1758.76
केशकाल	16	29400.000	11	22780.880	43999674.99	1931.43
नारायणपुर	12	21400.000	11	18831.475	33365385.02	1771.79
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	101002.330	266728481.31	2640.82
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	33	54633.685	127512828.42	2333.96
कांकेर	24	41100.000	23	38062.380	104233281.92	2738.49
राजनांदगांव	51	87200.000	49	81501.900	199386920.97	2446.41
खैरागढ़	24	44900.000	21	33306.165	69020701.04	2072.31
बालोद	18	28800.000	18	28769.985	68654131.06	2386.31
कवर्धा	24	44400.000	21	27866.840	62593517.23	2246.16
धमतरी	23	32900.000	23	27715.625	71975037.98	2596.91
गरियाबंद	62	90400.000	61	84020.450	265207551.98	3156.46
महासमुंद	69	101700.000	67	92887.200	241067859.90	2595.28
बलौदा बाजार	16	26900.000	14	21058.990	55498731.42	2635.39
बिलासपुर	16	24700.000	20	25766.450	61922871.27	2403.24
मरवाही	19	29300.000	14	16312.065	39581057.38	2426.49
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	2	3063.175	5828396.09	1902.73
रायगढ़	41	63900.000	41	58893.200	142356805.18	2417.20
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	74576.600	208818271.62	2800.05
कोरबा	34	54600.000	30	44059.875	128730051.38	2921.71
कटघोरा	39	78700.000	37	55798.145	155491425.33	2786.68
जशपुर नगर	20	36600.000	20	46712.150	91525628.31	1959.35
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	38241.895	80676798.21	2109.64
कोरिया	16	29400.000	16	30026.375	65538327.20	2182.69
सरगुजा	15	35000.000	15	31147.080	66293305.28	2128.40
बलरामपुर	64	154400.000	44	83948.025	150441818.43	1792.08
सूरजपुर	30	75000.000	29	63349.025	135838222.09	2144.28
कुल योग	950	1643800.000	801	1300439.496	3131894202.17	2408.34

संग्रहण वर्ष : 2014

परिशिष्ट 'ख-4'

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण					
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीजापुर	39	73535.680	--	--	--	--	--	--
सुकमा	4	4444.875	--	--	--	--	--	--
दंतेवाड़ा	7	12239.180	4	5655.855	5655.855	7536549.00	1332.52	0.000
जगदलपुर	15	20751.078	14	19092.943	17956.008	22663684.00	1262.18	1136.935
दक्षिण कोंडागांव	11	21745.521	6	11428.490	11428.490	24928173.00	2181.23	0.000
केशकाल	16	33105.563	5	10298.182	10298.182	16353805.11	1588.03	0.000
नारायणपुर	12	21677.155	1	2845.680	2845.680	7370312.00	2590.00	0.000
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	101002.330	--	--	--	--	--	--
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	70941.295	22	16307.610	16307.610	30602344.38	1876.57	0.000
कांकेर	24	39455.815	1	1391.580	1391.580	2326721.76	1672.00	0.000
राजनांदगांव	51	84045.020	2	2543.120	2543.120	5490596.08	2159.00	0.000
खैरागढ़	24	39867.070	3	6559.755	6559.755	11684173.49	1781.19	0.000
बालोद	18	28769.985	--	--	--	--	--	--
कवर्धा	24	33363.560	3	5483.620	5483.620	8870836.72	1617.70	0.000
धमतरी	23	27715.625	--	--	--	--	--	--
गरियाबंद	62	84631.590	1	601.050	601.050	1202100.00		0.000
महासमुंद	69	94228.795	2	1341.595	1341.595	2449753.75	1826.00	0.000
बलौदा बाजार	16	23362.180	2	2238.842	2238.842	3662292.15	1635.80	0.000
बिलासपुर	21	26337.975	1	571.525	571.525	865860.38	1515.00	0.000
मरवाही	14	16312.065	--	--	--	--	--	--
जांजगीर-चांपा	7	8456.700	5	5393.525	5393.525	8766445.38	1625.36	0.000
रायगढ़	41	58893.200	--	--	--	--	--	--
धरमजयगढ़	53	74576.600	--	--	--	--	--	--
कोरबा	34	47685.120	4	3625.245	3625.245	7497655.11	2068.18	0.000
कटघोरा	39	57512.230	2	1714.085	1714.085	2938852.30	1714.53	0.000
जशपुर नगर	20	45712.150	--	--	--	--	--	--
मनेन्द्रगढ़	20	38241.895	--	--	--	--	--	--
कोरिया	16	30026.375	--	--	--	--	--	--
सरगुजा	15	31147.080	--	--	--	--	--	--
बलरामपुर	64	111452.425	20	27117.411	27117.411	44814004.37	1652.59	0.000
सूरजपुर	30	66134.380	1	2758.327	2758.327	4308506.77	1562.00	0.000
कुल योग	900	1427370.512	99	126968.440	125831.505	214332665.75	1703.33	1136.935

संग्रहण वर्ष : 2015

परिशिष्ट 'ख-5'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	39	70061.135	175820831.99	2509.53
सुकमा	48	79500.000	20	37415.370	71408990.76	1908.55
दंतेवाड़ा	13	23500.000	8	15089.510	26785936.37	1775.14
जगदलपुर	15	25500.000	4	2547.305	4222013.73	1657.44
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	7	10284.988	17120273.42	1664.59
केशकाल	16	29400.000	13	16945.620	34007502.27	2006.86
नारायणपुर	12	21400.000	11	17628.985	35057164.27	1988.61
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	93029.995	282166447.41	3033.07
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	44	62570.445	158816770.28	2538.21
कांकेर	24	41100.000	24	32902.410	99708961.36	3030.45
राजनांदगांव	51	87200.000	51	78962.585	220061629.36	2786.91
खैरागढ़	24	44900.000	24	26335.915	59279978.87	2250.92
बालोद	18	28800.000	18	20798.795	57343202.46	2757.04
कवर्धा	24	44400.000	24	19906.560	48503817.82	2436.57
धमतरी	23	32900.000	23	24228.285	69516538.03	2869.23
गरियाबंद	62	90400.000	62	75429.370	256477476.48	3400.23
महासमुंद	69	101700.000	69	79086.035	226269317.39	2861.05
बलौदा बाजार	16	26900.000	15	21524.565	62027471.46	2881.71
बिलासपुर	16	24700.000	20	23952.495	64177413.96	2679.36
मरवाही	19	29300.000	14	15313.731	41594592.97	2716.16
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	6719.850	12666511.40	1884.94
रायगढ़	41	63900.000	41	54987.110	147120907.32	2675.55
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	63862.915	200069606.26	3132.80
कोरबा	34	54600.000	34	43696.425	137362603.10	3143.57
कटघोरा	39	78700.000	39	60326.690	185549546.38	3075.75
जशपुर नगर	20	36600.000	20	31422.260	69669922.55	2217.22
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	37022.835	96770946.18	2613.82
कोरिया	16	29400.000	16	22139.415	59299477.16	2678.46
सरगुजा	15	35000.000	15	23344.242	57644290.05	2469.32
बलरामपुर	64	154400.000	59	110783.960	229215529.83	2069.03
सूरजपुर	30	75000.000	30	64705.640	157383637.71	2432.30
कुल योग	950	1643800.000	880	1263025.441	3363119308.60	2662.75

संग्रहण वर्ष : 2015

परिशिष्ट 'ख-6'

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण					
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीजापुर	39	70061.135	--	--	--	--	--	--
सुकमा	24	39203.592	4	1788.222				1788.222
दंतेवाड़ा	10	15391.865	2	302.355				302.355
जगदलपुर	15	12964.349	11	10417.044	1853.228	3969032.00	2141.69	8563.816
दक्षिण कोंडागांव	11	16644.148	4	6359.160				6359.160
केशकाल	15	20680.425	2	3734.805				3734.805
नारायणपुर	12	19963.488	1	2334.503				2334.503
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	93029.995	--	--	--	--	--	--
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	67737.570	11	5167.125	2348.780	6965400.00	2965.54	2818.345
कांकेर	24	32902.410	--	--	--	--	--	--
राजनांदगांव	51	78962.585	--	--	--	--	--	--
खैरागढ़	24	26335.915	--	--	--	--	--	--
बालोद	18	20798.795	--	--	--	--	--	--
कवर्धा	24	19906.560	--	--	--	--	--	--
धमतरी	23	24228.285	--	--	--	--	--	--
गरियाबंद	62	75429.370	--	--	--	--	--	--
महासमुंद	69	79086.035	--	--	--	--	--	--
बलौदा बाजार	16	22264.275	1	739.710	739.710	2163652.00	2925.00	0.000
बिलासपुर	21	24403.020	1	450.525				450.525
मरवाही	14	15313.731	--	--	--	--	--	--
जांजगीर-चांपा	7	6719.850	--	--	--	--	--	--
रायगढ़	41	54987.110	--	--	--	--	--	--
धरमजयगढ़	53	63862.915	--	--	--	--	--	--
कोरबा	34	43696.425	--	--	--	--	--	--
कटघोरा	39	60326.690	--	--	--	--	--	--
जशपुर नगर	20	31422.260	--	--	--	--	--	--
मनेन्द्रगढ़	20	37022.835	--	--	--	--	--	--
कोरिया	16	22139.415	--	--	--	--	--	--
सरगुजा	15	23344.242	--	--	--	--	--	--
बलरामपुर	64	117331.846	5	6547.886	6547.886	19795948.00	3023.26	0.000
सूरजपुर	30	64705.640	--	--	--	--	--	--
कुल योग	922	1300866.776	42	37841.335	11489.604	32894032.00	2862.94	26351.731

हरा संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति किंवटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
				हरा (किंवटल में)	कवरिया (किंवटल में)	बालहरा (किंवटल में)	कुल हरा (किंवटल में)					
कांकेर	1	कांकेर		5036.500	9.100	0.000	5054.700	901.00	अधिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	4554284.70	4084197.60
कांकेर	2	नरहरपुर		3771.580	913.280	0.000	5598.140	916.00	अधिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	5127896.24	4523297.12
कांकेर	3	सरोना		1079.890	0.000	0.000	1079.890	805.00	अधिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	869311.45	872551.12
कांकेर	4	कोरर		1762.450	0.000	0.000	1762.450	900.00	अधिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1586205.00	1424059.60
कांकेर	5	चरामा		2657.000	117.700	0.000	2892.400	900.00	अधिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2603160.00	2337059.20
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1	2164.140	0.000	0.000	2164.140	917.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1984516.38	1882801.80
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	2	3378.970	0.000	0.000	3378.970	710.00	गोदामीकृत	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	2399068.70	2939703.90
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3	260.150	0.000	0.000	260.150	721.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	187568.15	226330.50
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव		34.600	0.000	0.000	34.600	721.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	24946.60	30102.00
नारायणपुर	10 & 11	उत्तर एवं दक्षिण नारायणपुर	4	2159.340	0.000	0.000	2159.340	857.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1850554.38	1878625.80
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	5	142.580	0.000	0.000	142.580	702.00	गोदामीकृत	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	100091.16	124044.60
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़		365.600	0.000	0.000	365.600	702.00	गोदामीकृत	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	256651.20	318072.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	6	6.850	0.000	0.000	6.850	619.00	गोदामीकृत	श्री अब्दुल शकूर	4240.15	5959.50
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी		11.150	0.530	0.000	12.210	619.00	गोदामीकृत	श्री अब्दुल शकूर	7557.99	10622.70
जगदलपुर	16	बस्तर	7	381.640	0.000	0.000	381.640	827.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	315616.28	332026.80
सुकुमा	17	सुकुमा		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
दत्तेवाडा	18	दत्तेवाडा	15	16.800	0.000	0.000	16.800	500.00	गोदामीकृत	मेसर्स रतन टेडर्स	8400.00	14616.00
बीजापुर	19	बीजापुर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद		185.000	0.000	0.000	185.000	1019.00	अधिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	188515.00	149480.00
धमतरी	22	धमतरी		1083.100	403.300	0.000	1889.700	907.00	अधिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1713957.90	1526877.60
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	8	131.450	0.000	0.000	131.450	721.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	94775.45	114361.50
दुर्ग	25	दुर्ग		278.700	357.800	0.000	994.300	933.00	अधिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	927681.90	803394.40
कवर्धा	26	कवर्धा		65.000	0.000	0.000	65.000	1017.00	अधिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	66105.00	52520.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़		12.000	0.000	0.000	12.000	1011.00	अधिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	12132.00	9696.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	9	846.150	0.000	0.000	846.150	852.00	गोदामीकृत	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	720919.80	736150.50
मरवाही	29	मरवाही		0.000	0.000	0.000	निरंक	0.00			0.00	0.00
कोरवा	30	कोरवा	10	11.930	4.160	0.000	20.250	300.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	6075.00	17617.50
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	11	70.720	9.200	0.000	89.120	857.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	76375.84	77534.40
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	12	28.000	0.000	0.000	28.000	857.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	23996.00	24360.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	13	81.900	5.450	0.000	92.800	857.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	79529.60	80736.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	14	20.000	25.000	0.000	70.000	767.00	गोदामीकृत	मेसर्स सत्योम टेडर्स	53690.00	60900.00
कोरिया	38	कोरिया		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
योग				26043.190	1845.520	0.000	29734.230				25843821.87	24657698.14

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 25843821.87  
 विक्रय मूल्य प्रति किंवटल 869.16  
 कुल व्यय 808/- एवं 870/- प्रति किंवटल 24657698.14  
 शुद्ध लाभ 1186123.73  
 शुद्ध लाभ प्रति किंवटल 39.89  
 संग्रहण मजदूरी 800/- प्रति किंवटल 23787384.00

हरा की संग्रहित मात्रा 29734.230  
 विक्रित हरा 29734.230  
 अविक्रित हरा 0.000

परिशिष्ट - 'ग-2'

हरा संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

जिला श्रृंखला	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति किंवदल	श्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)	
				हरा (किंवदल में)	कचरिया (किंवदल में)	बालहरा (किंवदल में)	कुल हरा (किंवदल में)					
कांकेर	1	कांकेर		1400.000	0.000	0.000	1400.000	750.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1050000.00	921200.00
कांकेर	2	नरहरपुर		1270.000	280.000	0.000	1830.000	855.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1564650.00	1204140.00
कांकेर	3	सरोना		307.000	8.050	0.000	323.100	701.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	226493.10	212599.80
कांकेर	4	कोरर		1151.200	0.000	0.000	1151.200	715.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	823108.00	757489.60
कांकेर	5	चरामा		1000.000	50.000	0.000	1100.000	711.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	782100.00	723800.00
उत्तर कोण्डामांव	6	फरसगांव		1577.180	0.000	0.000	1577.180	1057.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1667079.26	1037784.44
उत्तर कोण्डामांव	7	केशकाल		936.760	0.000	0.000	936.760	848.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	794372.48	616388.08
दक्षिण कोण्डामांव	8	पूर्व कोण्डामांव	1	764.250	0.000	0.000	764.250	807.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	616749.75	550260.00
दक्षिण कोण्डामांव	9	पश्चिम कोण्डामांव		285.900	0.000	0.000	285.900	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	231007.20	188122.20
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर		449.690	0.000	0.000	449.690	937.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	421359.53	295896.02
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर		1182.310	0.000	0.000	1182.310	937.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1107824.47	777959.98
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	2	23.170	0.000	0.000	23.170	619.00	गोदामीकृत	श्री अब्दुल शकूर	14342.23	16682.40
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतामढ़		715.940	0.000	0.000	715.940	1028.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	735986.32	471088.52
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी		18.780	0.000	0.000	18.780	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	नस्तर		688.270	0.000	0.000	688.270	702.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	483165.54	452881.66
सुकमा	17	सुकमा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
दंतेवाड़ा	18	दंतेवाड़ा	3	173.158	0.000	0.000	173.158	619.00	गोदामीकृत	श्री अब्दुल शकूर	107184.80	124673.76
बीजापुर	19	बीजापुर	4	40.000	0.000	0.000	40.000	500.00	गोदामीकृत	मेसर्स रतन टेडर्स	20000.00	28800.00
रायपुर	20	रायपुर		Nil	Nil	Nil	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद		0.000	0.000	0.000	0.000	739.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	0.00	0.00
धमतरी	22	धमतरी		171.000	134.700	0.000	440.400	870.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	383148.00	289783.20
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर		100.000	0.000	0.000	100.000	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	80800.00	65800.00
उदन्ती	24	उदन्ती		0.000	0.000	0.000	0.000	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग		118.000	66.000	0.000	250.000	830.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	207500.00	164500.00
कवर्धा	26	कवर्धा		20.000	0.000	0.000	20.000	851.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	17020.00	13160.00
खैरामढ़	27	खैरामढ़		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव		1717.160	0.000	0.000	1717.160	700.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1202012.00	1129891.28
मरवाही	29	मरवाही		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
कोरबा	30	कोरबा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़		8.100	0.000	0.000	8.100	701.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	5678.10	5329.80
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	701.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	5	132.900	4.810	0.000	142.520	753.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	107317.56	102614.40
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	6	178.590	1.410	0.000	181.410	753.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	136601.73	130615.20
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	7	64.770	77.000	0.000	218.770	867.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	189673.59	157514.40
कोरिया	38	कोरिया		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	8	64.990	0.000	0.000	64.990	300.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	19497.00	46792.80
योग				14559.118	621.970	0.000	15803.058				12994670.66	10485767.54

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 12994670.66  
 विक्रय मूल्य प्रति किंवदल 823.27  
 कुल व्यय 658/- एवं 720/- प्रति किंवदल 10485767.54  
 शुद्ध लाभ 2508903.12  
 शुद्ध लाभ प्रति किंवदल 158.95  
 संग्रहण मजदूरी 650/- प्रति किंवदल 12642446.40

हरा की संग्रहित मात्रा 15803.058  
 विक्रित हरा 15784.278  
 अविक्रित हरा 18.780



परिशिष्ट - 'घ-1'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2014-15 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)				विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		केता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	ग्रेड - III	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	5.580	9.690	0.000	15.270	0.00				259668.06
2	नारायणपुर	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00				
3	सुकमा	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00				
4	बीजापुर	100.000	0.000	0.000	25.000	25.000	22171.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	299608.11	273000.00
5	दंतेवाडा	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00				
योग			5.580	9.690	25.000	40.270				299608.11	532668.06

गोंद की अनुमानित मात्रा 40.270  
विक्रित मात्रा 25.000  
अविक्रित मात्रा 15.270

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 299608.11  
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 22171.00  
कुल व्यय 20178, 15178/- एवं 10978/- प्रति क्विंटल 532668.06  
शुद्ध लाभ -233059.95  
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल -8841.08  
संग्रहण मजदूरी 20000/-, 15000/- एवं 10800/- प्रति क्विंटल 526950.00

परिशिष्ट - 'घ-2'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2015-16 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	0.00				
2	नारायणपुर	80.000	0.00				
3	सुकमा	100.000	0.00				
4	बीजापुर	100.000	20101.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	2010100.00	1657000.00
5	दत्तेवाडा	100.000	0.00				
योग		410.000				2010100.00	1657000.00

गोंद की अनुमानित मात्रा	410.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	2010100.00
विक्रित मात्रा	100.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	20101.00
अविक्रित मात्रा	310.000	कुल व्यय 20178, 15178/- एवं 10978/- प्रति क्विंटल	1657000.00
		शुद्ध लाभ	353100.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	3531.00
		संग्रहण मजदूरी 20000/-, 15000/- एवं 10800/- प्रति क्विंटल	6744500.00

घावड़ा, खैर एवं बनूल गोंद संग्रहण वर्ष 2014-15 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		केला का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			घावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बनूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (घावड़ा) (क्विंटल में)					
1	सरगुजा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
4	धर्मजयगढ़	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
5	पेन्द्रा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
6	घमतरी	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
7	महासमुंद	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
10	उदन्ती	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
11	दुर्ग	100.000	निरंक	निरंक	निरंक					
12	कवर्धा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक					
13	खैरागढ़	25.000	निरंक	निरंक	निरंक					
14	राजनांदगांव	150.000	निरंक	निरंक	निरंक					
15	पश्चिम	100.000	निरंक	निरंक	निरंक					
16	नारायणपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
17	जगदलपुर	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	3511.00	अग्रिम मेसर्स रतन ट्रेडर्स			
18	बीजापुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	3511.00	अग्रिम मेसर्स रतन ट्रेडर्स			
19	सुकमा	100.000	निरंक	निरंक	निरंक					
20	बिलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
21	जांजगीर-चांपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक					
योग		955.000	0.000	0.000	0.000					

घावड़ा	खैर/बनूल	
गोंद की संग्रहित मात्रा	0.000	0.000
विक्रित गोंद	0.000	0.000
अविक्रित गोंद	0.000	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य  
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल  
कुल व्यय 2980/- एवं 1820/- प्रति क्विंटल  
शुद्ध लाभ  
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल  
संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल

परिशिष्ट - 'घ-4'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2015-16 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	सरगुजा	10					
2	कोरिया	10					
3	रायगढ़	50					
4	धर्मजयगढ़	10					
5	पेन्झा	10					
6	धमतरी	10					
7	महासमुंद	50					
8	रायपुर	50					
9	गरियाबंद	10					
10	गरियाबंद	5					
11	दुर्ग	100					
12	कवर्धा	10					
13	खैरागढ़	25					
14	राजनांदगांव	150					
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100					
16	नारायणपुर	60					
17	जगदलपुर	10	3100.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	31000.00	22840.00
18	बीजापुर	50	3100.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	155000.00	114200.00
19	सुकमा	100					
20	बिलासपुर	50					
21	जांजगीर-चांपा	50					
		920				186000.00	137040.00

अनुमानित गोंद	920.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	186000.00
विक्रित गोंद	60.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3100.00
अविक्रित गोंद	860.000	कुल व्यय 2980/- एवं 1820/- प्रति क्विंटल	137040.00
		शुद्ध लाभ	48960.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	816.00
		संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	2027680.00

## सालबीज संग्रहण वर्ष 2014 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला सूचिवन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	श्रेणी	क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (₹.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (₹)
कोरिया	1	कोरिया	500.000		-----	0.00	गोदामीकृत			0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	500.000		-----	0.00	गोदामीकृत			0.00
सुरजपुर	3	सुरजपुर	5000.000	1	546.160	0.00	गोदामीकृत			707823.36
बलरामपुर	4	बलरामपुर	10000.000	2	59.270	0.00	गोदामीकृत			76813.92
सरगुजा	5	सरगुजा	15000.000	3	1387.650	1504.00	गोदामीकृत	प्रणव एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	417405.00	* 1798394.40
						1305.00		मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	1810884.00	
जशपुरनगर	6	अपरघाट	5000.000	4	4255.670	1255.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	5340866.00	5515348.32
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	20000.000	5	1709.950	1450.00	गोदामीकृत	प्रणव एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	495886.00	* 2216095.20
						1255.00		मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	2145988.00	
कोरवा	8	कोरवा	10000.000	6	3791.740	1617.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	6131243.58	4914095.04
रायगढ़	9	रायगढ़	1500.000	7	2886.870	1160.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3348770.00	3741383.52
धर्मनगढ़	10	धर्मनगढ़	18000.000	8	4783.510	1255.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	6003306.00	6199428.96
कटघोरा	11	कटघोरा	1000.000		-----	0.00	गोदामीकृत			0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	-----		-----	0.00	गोदामीकृत			0.00
मरवाही	13	मरवाही	5000.000	9	1037.960	1450.00	गोदामीकृत	प्रणव एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	301008.00	* 1345196.16
						0.00				
कांकेर	14	कांकेर	2000.000	10	2720.000	1300.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3536000.00	3525120.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	8500.000	11	3017.500	1623.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	4897402.50	3910680.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमानेड़ा	4500.000	12	4937.410	1628.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	8038103.48	6398883.36
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीनेड़ा	500.000	13	514.310	1614.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	830096.34	666545.76
केशकाल	18	बड़े राजपुर	9000.000	14	6548.750	1020.00	गोदामीकृत	मेसर्स वन्देवी रिसोर्सेस प्रा.लि.	6679725.00	8487180.00
केशकाल	19	केशकाल	7000.000	15	6672.970	1020.00	गोदामीकृत	मेसर्स वन्देवी रिसोर्सेस प्रा.लि.	6806429.00	8648169.12
केशकाल	20	फरसगांव	5000.000	16	3407.850	1020.00	गोदामीकृत	मेसर्स वन्देवी रिसोर्सेस प्रा.लि.	3476007.00	4416573.60
केशकाल	21	बड़े डोंगर	4000.000	17	2702.800	1504.00	गोदामीकृत	प्रणव एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	813002.00	* 3502828.80
						1330.00		मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	3594724.00	
दक्षिण कोण्डागांव	22	भाकडी	14000.000	18	4945.760	1335.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	6602590.00	6409704.96
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	13000.000	19	4482.360	1330.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	5961539.00	5809138.56
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	13000.000	20	6418.940	1206.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	7741241.64	8318946.24
		सुखत			387.860	----	गोदामीकृत	....	----	502666.56
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	5000.000	21	1480.680	1300.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1924884.00	1918961.28
नारायणपुर	26	नारायणपुर	10000.000	22	1783.540	1305.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	2327520.00	2311467.84
दत्तेवाडा	27	दत्तेवाडा	200.000	34	61.800	0.00	गोदामीकृत			80092.80
जगदलपुर	28	बक्रावंड	10000.000	23	6795.590	1206.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8195481.54	8807084.64
जगदलपुर	29	कर्वावंड	8000.000	24	6251.260	1206.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7539019.56	8101632.96
जगदलपुर	30	जगदलपुर	10000.000	25	5763.240	1607.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	9261526.68	7469159.04
जगदलपुर	31	मगपुरी	12000.000	26	6026.580	1206.00	गोदामीकृत	मेसर्स 3एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7268055.48	7810447.68
सुकुमा	32	सुकुमा	700.000	27	208.000	0.00	गोदामीकृत			269568.00
भरियाबंद	34	भरियाबंद	15000.000	28	8722.470	1332.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	11618330.04	11304321.12
		सुखत		29	6230.335	1654.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	10304974.09	8074514.16
					250.045	----	गोदामीकृत	....	----	324058.32
				30	9073.630	1332.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रोप्रेसिब एक्विजिज लिमिटेड	12086075.16	11759424.48
बलौदा बाजार	36	बलौदा बाजार	300.000	31	237.840	1600.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	380544.00	308240.64
घमतरी	37	घमतरी	20000.000	32	4937.860	1654.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	8167220.44	6399466.56
		सुखत			78.470	----	गोदामीकृत	....	----	101697.12
कवर्धा	38	कवर्धा	2500.000	33	559.420	1700.00	गोदामीकृत	विभूति रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	951014.00	725008.32
<b>योग</b>			<b>265700.00</b>		<b>125676.050</b>				<b>164996861.53</b>	<b>162876160.80</b>

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 164996861.53  
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 1340.93  
कुल व्यय 1296/- प्रति क्विंटल 162876160.80  
शुद्ध लाभ 2120700.73  
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 16.87  
संग्रहण मजदूरी 1000/- प्रति क्विंटल 125676050.00

सालबीज की संग्रहित मात्रा 125676.050  
विक्रित सालबीज 123046.485  
सुखत सालबीज 716.375  
अविक्रित सालबीज 1913.190

नोट :- \* प्रथम क्रेता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि

परिशिष्ट 'च'

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्य किये गये वनोपजों की जानकारी

मात्रा क्विंटल में

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	वनोपज का नाम				
		सालबीज	चिरौजी गुठली	महुआ बीज	कुसमी लाख	रंगीनी लाख
		वर्ष 2015	वर्ष 2015	वर्ष 2015	वर्ष 2015	वर्ष 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	बीजापुर	0.00	907.22	0.00	0.00	0.00
2	सुकमा	0.00	556.57	0.00	0.00	0.00
3	दंतेवाड़ा	0.00	499.68	0.00	2.16	0.00
4	जगदलपुर	9664.89	907.47	1263.51	201.70	0.00
5	दक्षिण कोण्डागांव	1050.55	55.50	0.00	0.00	0.00
6	केशकाल	603.88	675.22	0.00	0.00	0.00
7	नारायणपुर	0.00	483.45	0.00	0.00	0.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	175.85	0.00	0.00	361.07	0.00
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	119.64	0.00
10	कांकेर	86.35	0.00	16.49	239.00	139.00
11	राजनांदगांव	0.00	0.00	359.90	85.00	213.00
12	खैरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बालोद	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
14	कवर्धा	2370.04	1625.14	90.40	231.83	0.00
15	धमतरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	गरियाबंद	159.50	57.43	83.86	274.48	6.21
17	महासमुंद	0.00	2.00	20.75	132.92	211.99
18	बलौदाबाजार	0.00	0.00	287.33	1.12	0.00
19	बिलासपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
20	मरवाही	2522.57	0.00	1050.10	49.92	198.20
21	जांजगीर-चांपा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	रायगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	धर्मजयगढ़	41.00	0.00	0.00	139.30	0.00
24	कोरबा	56.50	0.00	0.00	66.57	4.25
25	कटघोरा	0.00	0.00	18.30	31.71	259.56
26	जशपुरनगर	8661.40	0.00	201.25	0.00	0.00
27	मनेन्द्रगढ़	0.00	1.02	0.00	2.50	125.17
28	कोरिया	2063.48	0.00	0.00	0.00	23.01
29	सरगुजा	17737.13	46.53	84.44	323.39	96.66
30	बलरामपुर	43739.82	66.75	0.00	9.00	0.00
31	सूरजपुर	13511.27	181.90	0.00	98.03	0.00
	योग	102444.23	6065.88	3476.33	2369.34	1316.48

## हरा संग्रहण वर्ष 2014-15 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा	विक्रय दर रु. प्रति किंवटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
				(किंवटल में)					
कांकेर	1	कांकेर	1	2515.890	705.00	गोदामीकृत	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1773703.00	3522246.00
कांकेर	2	नरहरपुर							
कांकेर	3	सरोना							
कांकेर	5	चरामा							
कांकेर	4	कोरर	2	2804.010	700.00	गोदामीकृत	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1962807.00	3925614.00
केशकाल	6	फरसगांव	3	1947.360		गोदामीकृत			2726304.00
केशकाल	7	केशकाल	4	2515.040		गोदामीकृत			3521056.00
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	5	1574.210		गोदामीकृत			2203894.00
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	6	708.060		गोदामीकृत			991284.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	7	1636.280		गोदामीकृत			2290792.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	8	1533.850		गोदामीकृत			2147390.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	9	3641.400		गोदामीकृत			5097960.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	10	1583.480		गोदामीकृत			2216872.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	11	1489.080		गोदामीकृत			2084712.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी							
जगदलपुर	16	बस्तर	12	1753.610		गोदामीकृत			2455054.00
सुकमा	17	सुकमा		निरंक		गोदामीकृत			
दंतेवाड़ा	18	दंतेवाड़ा	13	151.070		गोदामीकृत			211498.00
बीजापुर	19	बीजापुर	14	110.000		गोदामीकृत			154000.00
रायपुर	20	रायपुर		निरंक		गोदामीकृत			
महासमुंद	21	महासमुंद	15	17.500		गोदामीकृत			24500.00
धमतरी	22	धमतरी	16	247.200		गोदामीकृत			346080.00
उदन्ती	23	पूर्व रायपुर	17	616.120		गोदामीकृत			862568.00
उदन्ती	24	उदन्ती							
दुर्ग	25	दुर्ग	18	674.060		गोदामीकृत			943684.00
कवर्धा	26	कवर्धा	19	261.030		गोदामीकृत			365442.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़	20	172.370		गोदामीकृत			241318.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	21	3512.789		गोदामीकृत			4917904.60
भरवाही	29	भरवाही		निरंक		गोदामीकृत			
कोरवा	30	कोरवा	22	40.520		गोदामीकृत			56728.00
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक		गोदामीकृत			
रायगढ़	32	रायगढ़	23	218.760		गोदामीकृत			306264.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	24	895.500		गोदामीकृत			1253700.00
बलरामपुर	34	बलरामपुर	25	143.180		गोदामीकृत			200452.00
सुरजपुर	35	सुरजपुर	26	1566.660		गोदामीकृत			2193324.00
सरसुजा	36	सरसुजा	27	399.760		गोदामीकृत			559664.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़		निरंक		गोदामीकृत			
कोरिया	38	कोरिया		निरंक		गोदामीकृत			
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	28	1472.950		गोदामीकृत			2062130.00
बिलासपुर		बिलासपुर	29	17.280		गोदामीकृत			24192.00
		योग		34219.019				3736510.00	47906626.60

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 3736510.00  
विक्रय मूल्य प्रति किंवटल 702.36  
हरा की संग्रहित मात्रा 34219.019 कुल व्यय 1400/- प्रति किंवटल 47906626.60  
विक्रित हरा 5319.900 शुद्ध लाभ -44170116.60  
अविक्रित हरा 28899.119 शुद्ध लाभ प्रति किंवटल -1290.81  
संग्रहण मजदूरी 1100/- प्रति किंवटल 37640920.90

परिशिष्ट - 'ज'

इमली संग्रहण वर्ष 2015 का विक्रय

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
बीजापुर	1	946.63		गोदामीकृत			2399707.05
बीजापुर	2	2526.92		गोदामीकृत			6405742.20
सुकमा	3	2294.64		गोदामीकृत			5816912.40
सुकमा	4	5791.06		गोदामीकृत			14680337.10
दत्तेवाड़ा	5	1730.64		गोदामीकृत			4387172.40
जगदलपुर	6	4725.08		गोदामीकृत			11978077.80
जगदलपुर	7	2645.48		गोदामीकृत			6706291.80
दक्षिण कोण्डामांव	8	5087.45		गोदामीकृत			12896685.75
केशकाल	9	6145.15	2410.00	गोदामीकृत	भेसर्स रेन्वर्स रेन्चेरिया	14809812.00	15577955.25
नारायणपुर	10	1916.02		गोदामीकृत			4857110.70
कांकेर	11	1206.46		गोदामीकृत			3058376.10
योग		35015.53				14809812.00	88764368.55

	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	14809812.00
	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	2410.00
संग्रहित इमली की मात्रा	35015.530 कुल व्यय 2535/- प्रति क्विंटल	88764368.55
विक्रित इमली की मात्रा	6145.150 शुद्ध लाभ	-73954556.55
अविक्रित इमली की मात्रा	28870.380 शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	-2112.05
	संग्रहण मजदूरी 2200/- प्रति क्विंटल	77034166.00



**परिशिष्ट 'झ'**

संग्रहण वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	बीजापुर	299.68	292.27	7.41
2	सुकमा	0.00	0.00	0.00
3	दंतेवाड़ा	79.69	79.69	0.00
4	जगदलपुर	6.56	6.56	0.00
5	दक्षिण कोण्डागांव	9.29	9.29	0.00
6	केशकाल	70.29	70.29	0.00
7	नारायणपुर	8.46	8.46	0.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	1013.26	726.74	286.52
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	497.17	493.93	3.24
10	कांकेर	385.73	306.89	78.84
11	राजनांदगांव	633.14	417.12	216.02
12	खैरागढ़	122.14	92.04	30.11
13	बालोद	205.82	180.12	25.70
14	कवर्धा	175.87	175.87	0.00
15	धमतरी	245.21	239.82	5.39
16	गरियाबंद	1113.41	1,020.15	93.26
17	महासमुंद	810.87	739.71	71.16
18	बलौदाबाजार	195.68	178.54	17.14
19	बिलासपुर	176.29	173.29	3.00
20	मरवाही	166.46	154.48	11.98
21	जांजगीर-चांपा	8.52	8.52	0.00
22	रायगढ़	454.11	443.15	10.96
23	धर्मजयगढ़	832.50	832.50	0.00
24	कोरबा	521.96	521.96	0.00
25	कटघोरा	660.70	660.70	0.00
26	जशपुरनगर	93.45	93.45	0.00
27	मनेंद्रगढ़	156.45	156.45	0.00
28	कोरिया	239.84	239.84	0.00
29	सरगुजा	144.22	144.22	0.00
30	बलरामपुर	281.25	257.03	24.22
31	सूरजपुर	432.32	432.32	0.00
	योग	10040.33	9155.38	884.94

परिशिष्ट - 'ज'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1998 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1998 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	सूरजपुर	356.09	333.32	22.77
2	बलरामपुर	111.19	110.70	0.49
3	मनेन्द्रगढ़	245.96	244.08	1.88
4	कोरिया	213.06	169.81	43.25
5	सरगुजा	145.40	108.92	36.48
6	जशपुरनगर	64.41	60.57	3.84
7	धर्मजयगढ़	594.42	550.81	43.61
8	रायगढ़	336.56	310.81	25.75
9	मरवाही	180.00	140.62	39.38
10	कटघोरा	643.45	629.66	13.79
11	कोरबा	510.42	507.48	2.94
12	जांजगीर-चांप	5.49	3.04	2.45
13	बिलासपुर	44.37	40.69	3.68
14	महासमुन्द	657.58	570.94	86.64
15	बलौदाबाजार	242.89	166.81	76.08
16	धमतरी	318.30	255.36	62.94
17	गरियाबंद	877.00	836.00	41.00
18	कांकेर	334.91	185.29	149.62
19	उ. कोण्डागांव	132.20	92.92	39.28
20	द. कोण्डागांव	98.01	72.31	25.70
21	नारायणपुर	64.65	55.45	9.20
22	पूर्व	811.78	601.46	210.32
23	प.	291.59	258.66	32.93
24	सुकमा	393.86	314.75	79.11
25	बीजापुर	433.18	325.79	107.39
26	जगदलपुर	71.93	70.40	1.53
27	दन्तेवाड़ा	100.20	91.23	8.97
28	बालोद	190.70	127.39	63.31
29	कवर्धा	168.15	157.77	10.38
30	राजनांदगांव	570.23	532.90	37.33
31	खैरागढ़	189.63	107.72	81.91
योग		9397.61	8033.66	1363.95

परिशिष्ट - 'ट'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु उपलब्ध राशि

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	सूरजपुर	190.45	100.47
2	बलरामपुर	84.25	69.54
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	124.81
4	कोरिया	122.59	93.81
5	सरगुजा	81.31	56.44
6	जशपुरनगर	59.65	53.22
7	धर्मजयगढ़	329.55	317.93
8	रायगढ़	197.46	163.18
9	मरवाही	81.68	81.68
10	कटघोरा	338.20	338.49
11	कोरबा	291.64	288.08
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.90
13	बिलासपुर	27.70	28.17
14	महासमुन्द	319.58	309.74
15	बलौदाबाजार	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	193.93
17	गरियाबंद	504.00	377.00
18	कांकेर	193.15	167.15
19	उ. कोण्डागांव	135.29	97.45
20	द. कोण्डागांव	125.46	95.54
21	नारायणपुर	42.24	36.83
22	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	300.98
23	प. भानुप्रतापपुर	148.37	140.80
24	सुकमा	303.23	111.82
25	बीजापुर	325.62	168.93
26	जगदलपुर	88.58	85.12
27	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
28	बालोद	95.39	95.39
29	कवर्धा	76.47	74.86
30	राजनांदगांव	319.89	296.46
31	खैरागढ़	103.31	101.47
	योग	5546.52	4511.79

परिशिष्ट- 'ठ'

वर्ष 2014 एवं 2015 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को चरणपादुका वितरण की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	वर्ष 2014 में वितरित चप्पलों की संख्या	वर्ष 2015	
			जिला यूनियनवार आदेशित चरणपादुकाओं की संख्या	जिला यूनियन में प्राप्त चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3	4	4
1	कोरिया	25251	25793	25793
2	मनेन्द्रगढ़	27320	26611	26611
3	जशपुरनगर	31937	47507	47507
4	बलरामपुर	100643	101444	101444
5	सरगुजा	28713	30938	30938
6	सूरजपुर	50383	51020	51020
7	बिलासपुर	28291	26938	26938
8	मरवाही	25025	24932	24932
9	कटघोरा	67035	65142	65142
10	कोरबा	38270	38260	38260
11	जांजगीर-चांपा	10170	10319	10319
12	रायगढ़	55138	59196	59196
13	धरमजयगढ़	51515	53709	53709
14	बलौदाबाजार	26702	27191	27191
15	गरियाबंद	64348	67354	67354
16	धमतरी	30939	30874	30874
17	महासमुंद	105580	105928	105928
18	बालोद	28435	27792	27792
19	राजनांदगांव	54189	55517	55517
20	खैरागढ़	23150	24616	24616
21	कवर्धा	28823	29851	29851
22	कांकेर	37031	38823	38823
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	36899	36440	36440
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	35592	36501	36501
25	नारायणपुर	17708	17344	17344
26	दक्षिण कोण्डागांव	28220	30560	30560
27	केशकाल	28962	29756	29756
28	जगदलपुर	31311	28377	28377
29	दंतेवाड़ा	29075	25471	25471
30	बीजापुर	43933	45617	45617
31	सुकमा	62154	12430	12430
योग		1252742	1232251	1232251

### विषय क्रमांक - 3

**विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।**

**(i) संघ में रिक्त पदों की भरती -**

संघ में जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

**(ii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2014 या 2015 में न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता तोड़ा है, को समूह बीमा योजना का लाभ वर्ष 2016-17 में भी प्राप्त होगा । अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना भी वर्ष 2016-17 में लागू रहेगी ।

**(iii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2014 या 2015 में न्यूनतम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना वर्ष 2016-17 में भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे । इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी वर्ष 2016-17 में प्राप्त होगा ।

**(iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना -**

भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, को छत्तीसगढ़ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए वर्ष 2016-17 में भी लागू रहेगी ।

**(v) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु प्रचलित निम्नलिखित शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016-17 में भी लागू रहेगी ।

- (1) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति
- (2) मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार
- (3) गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना
- (4) तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना

**(vi) वनोपज सहकारी संस्थाओं में संचालक मण्डल का चुनाव -**

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल का गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी तथा प्रदेश में

प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो गया है। इसी प्रकार जिला यूनियन का दिनांक 06.07.2013 को एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का दिनांक 11.09.2013 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में बहिर्गामी प्रबंध समिति के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अधीन कार्यवाही करते हुये समस्त समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में भी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(4)(8) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में भी बहिर्गामी प्रबंध समिति के संचालकों द्वारा स्वमेव पद रिक्त किये जाने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन 2012) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचित कराये जाने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

#### **(vii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में राशि रूपये 25,000/- का बीमा कराया जाता है।

वर्ष 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत 859 समिति प्रबंधकों का बीमा कराया गया है। वर्ष 2016-17 हेतु समिति प्रबंधकों को पुनः समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा।

#### **(viii) तेन्दूपत्ते का व्यापार -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2016 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.438 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य कराया जाकर अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को तेन्दूपत्ता का परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 197.26 करोड़ की संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है। तेन्दूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर

तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जावेगा । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएँ ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

#### **(ix) कुल्लू गोंद का व्यापार -**

वानिकी वर्ष 2015-16 सीजन में कुल्लू गोंद वर्ग-1 की 5 इकाईयाँ जिसका संभावित उत्पादन लगभग 410 क्विंटल है, के विक्रय की कार्यवाही की जावेगी । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जावेगा । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में (30 जून तक) लगभग रु. 67.45 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2016-17 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

#### **(x) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार -**

वानिकी वर्ष 2015-16 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 920 क्विंटल है । विगत वर्ष गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की 2 इकाईयों का अग्रिम ई-नीलाम द्वारा निर्वर्तन किया जा चुका था । शेष 19 अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित होने वाली अनुमानित 860 क्विंटल गोंद का विभागीय संग्रहण कार्य कराया जाकर भंडारित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में (30 जून तक) लगभग रु. 20.28 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2016-17 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

**(xi) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना - भारत सरकार की “Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP” योजना अंतर्गत प्रदेश में निम्न वनोपजों का संग्रहण कर विक्रय की कार्यवाही किया जावेगा ।**

1. **सालबीज** - संग्रहण वर्ष 2016 के सालबीज के संग्रहण एवं निर्वर्तन का कार्य भी वर्ष 2015 की भांति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से सालबीज का संग्रहण किया जावेगा । वर्ष 2016 में 4 लाख क्विंटल

सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है । जिससे संग्राहकों को लगभग रुपये 40 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरण होने का अनुमान है ।

2. **हरा** - संग्रहण वर्ष 2015-16 में संघ द्वारा हरा का समर्थन मूल्य रू. 11/- प्रति किलो की दर से संग्रहित हरा का निवर्तन किया जावेगा । संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से हरा का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा । संग्रहण वर्ष 2016-17 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हरा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हरा का उत्पादन होना संभावित है ।
3. **इमली** - संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से इमली का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा ।
4. **चिरौजी गुठली** - संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से चिरौजी गुठली का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा ।
5. **महुआ बीज** - संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से महुआ बीज का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा ।
6. **कुसुमी लाख** - संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से कुसुमी लाख का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा ।
7. **रंगीनी लाख** - संग्रहण वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से रंगीनी लाख का संग्रहण कर निवर्तन किया जावेगा ।
8. इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अधोसंरचना विकास संबंधी कार्य भी कराये जावेंगे ।



**(xii) वर्ष 2015 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की राशि में से शासन के निर्देश उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा ।

**(xiii) अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय -**

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 के तेन्दूपत्ता व्यापार से कुल प्राप्त आय में से 15 प्रतिशत राशि सहकारी समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध करायी जाए । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन हेतु उपलब्ध करायी जाकर अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय एवं विक्रय किया जावेगा ।

**(xiv) तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ की 15 प्रतिशत राशि से लाख विकास कार्य -**

मंत्रिपरिषद द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 से तेन्दूपत्ता के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार, भण्डारण, प्रसंस्करण के साथ-साथ लाख पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य समर्धन संबंधी कार्य लिया जावेगा । वर्ष में 13.89 करोड़ की राशि से लाख पालन संबंधी कार्य कराया जावेगा ।

**(xv) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण -**

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

**(xvi) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -**

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2016-17 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं को क्रय कर वितरण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

**(xvii) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान -**

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली से प्राप्त राशि रु. 2.00 करोड़ की राशि से गोदाम निर्माण कराया पूर्ण काराया जावेगा साथ ही राशि रु. 2.32 करोड़ प्राप्त कर गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया जावेगा ।

**(xviii) रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता -**

वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त राशि रू. 32.00 करोड़ से नयनपुर-गिरिवरगंज में Cassia Tora Gum व Cssia Tora Powder Unit तथा बरौडा रायपुर में Herbal Extraction and Ayurvedic Medicines (For Both Human & Animal Healthcare) प्रसंस्करण इकाई की स्थापना सम्बंधी निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा । जगदलपुर तथा कांकेर जिला यूनियन हेतु स्थान प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

**(xix) लाख विकास योजना -**

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने लाख विकास योजना मद (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत वर्ष में रू. 3.03 करोड़ की लागत से लाख विकास सम्बंधी कार्य कराये जावेगा ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस के तहत वर्ष में परियोजना की शेष राशि रू. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना प्रस्तावित है ।

**(xx) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना -**

लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर विनाश विहीन विदोहन के सिद्धांत पर क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य वनौषधि प्रजातियों की पहचान करते हुये उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ ही साथ क्षेत्र के जैविक विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन का प्रयास किया जावेगा । वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा तथा साथ ही विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा । वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से रू. 2.92 करोड़ एवं संघ मद से रू. 3.96 करोड़ से लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना सम्बंधी कार्य किये जावेगे ।

**(xxi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य -**

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1998 से 2007 तक की राशि रूपये 93.98 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का उपलब्ध कराई जा चुकी है जिनके विरुद्ध अभी तक रूपये 80.33 करोड़ के कार्य ही कराये गये है एवं अवशेष राशि रूपये 13.65 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा कराये जावेगे ।

**(xxii) वन एवं वनोपज का विकास -**

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे । इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रूपये 10.36 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जा कर कार्य कराये जावेंगे ।

**विषय क्रमांक - 4**

**विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये बजट की स्वीकृति ।**

वर्ष 2016-17 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

**अनुमानित व्यय**

**(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -**

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2016	16.438	लाख मा.बो.	1800.00 प्रति मा.बोरा	29588.400
2.	कुल्लू गोंद	2015-16	6.15	टन (श्रेणी-I)	201780.00 प्रति टन	20.466
			3.08	टन (श्रेणी-II)	151780.00 प्रति टन	
			3.08	टन (श्रेणी-III)	109780.00 प्रति टन	
		2016-17	14.35	टन (श्रेणी-I)	201780.00 प्रति टन	47.735
			7.18	टन (श्रेणी-II)	151780.00 प्रति टन	
			7.18	टन (श्रेणी-III)	109780.00 प्रति टन	
3.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2015-16	14.72	टन (धावड़ा)	29800.00 प्रति टन	8.405
			22.08	टन (खैर/बबूल)	18200.00 प्रति टन	
		2016-17	22.08	टन (अग्रिम)	29800.00 प्रति टन	16.675
			33.12	टन (विभागीय)	30480.00 प्रति टन	
<b>योग</b>						<b>29681.681</b>

**(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -**

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	232.00
2.	लाख विकास योजना	303.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	292.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2200.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	580.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	20355.00
<b>योग</b>		<b>24336.00</b>

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान	दिनांक 31.08.15 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	400.00	143.45	400.00
2.	चिकित्सा व्यय	30.00	10.37	30.00
3.	यात्रा भत्ता	15.00	1.17	15.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	11.00	4.21	11.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	17.13	50.00
6.	पेन्शन अंशदान	20.00	15.27	40.00
7.	ग्रेज्युटी(उपादान)	50.00	0.00	50.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण	50.00	0.00	50.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.00	1.00
10.	लेखन सामग्री छपाई	65.00	3.60	15.00
11.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	1.57	10.00
12.	भवन किराया /बिजली	20.00	8.20	20.00
13.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	60.00	9.70	60.00
14.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	0.32	5.00
15.	वाहन व्यय	20.00	6.15	20.00
16.	प्रशिक्षण	10.00	0.00	10.00
17.	विविध आकस्मिक	18.00	4.17	18.00
18.	अंकेक्षण शुल्क	75.00	0.00	45.00
19.	न्यायालयीन व्यय	5.00	0.00	5.00
20.	घसारा	250.00	0.00	250.00
21.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	10.00	0.00	10.00
<b>योग</b>		<b>1175.00</b>	<b>225.31</b>	<b>1115.00</b>

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	1500.00	0.00	1500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	10.00	0.00	10.00
3.	अंशपूंजी क्रय	1.00	0.00	1.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	55.00	0.00	55.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	70.00	1.83	70.00
<b>योग</b>		<b>1636.00</b>	<b>1.83</b>	<b>1636.00</b>

## अनुमानित आय

### (अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2016-17 में वनोपज की बिक्री से रू. 49740.721 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	49642.760
2.	हरा	0.056
3.	कुल्लू गोंद	73.800
4.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद	24.105
	<b>योग</b>	<b>49740.721</b>

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	<b>तेन्दूपत्ता</b>	
1.	वर्ष 2016 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 3000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	44382.600
2.	वर्ष 2017 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 3200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	5260.160
	<b>योग</b>	<b>49642.760</b>
(ब)	<b>हरा</b>	
1.	वर्ष 2013-14 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.878 टन के लिये रू. 3000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.056
	<b>योग</b>	<b>0.056</b>

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
<b>(स)</b>	<b>कुल्लू गोंद</b>	
1.	वर्ष 2015-16 सीजन की वर्ष 2016-17 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 16.4 टन के रू. 180000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	29.520
2.	वर्ष 2016-17 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 41 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 200000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	44.280
	<b>योग</b>	<b>73.800</b>
<b>(द)</b>	<b>धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद</b>	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 700/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.001
2.	वर्ष 2015-16 सीजन की वर्ष 2016-17 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 36.8 टन के रू. 25000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	9.200
3.	वर्ष 2016-17 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 92.0 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 30000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	14.904
	<b>योग</b>	<b>24.105</b>
	<b>महायोग आय</b>	<b>49740.721</b>

**(ब) विविध आय -**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	2500.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	450.00
	<b>योग</b>	<b>2950.00</b>

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	232.00
2.	लाख विकास योजना	303.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	292.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2200.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	580.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	20355.00
<b>योग</b>		<b>24336.00</b>

### प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	हर्रा	0.056
3.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	29.520
4.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	9.201
<b>योग :-</b>		<b>38.777</b>

### अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	4.920
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	1.656
<b>योग</b>		<b>6.576</b>



## आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	49740.721
2.	विविध आय	2950.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	24336.000
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	6.576
	<b>महायोग</b>	<b>77033.297</b>

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	29681.681
2.	कार्यालयीन व्यय	1115.000
3.	पूँजीगत व्यय	1636.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	24336.000
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	38.777
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	19775.839
	<b>महायोग</b>	<b>76583.297</b>

## आधिक्य (लाख में)

कुल आय	<b>77033.297</b>
कुल व्यय	<b>76583.297</b>
संघ का शुद्ध लाभ	<b>450.000</b>

## विषय क्रमांक - 5

**विषय :- वर्ष 2014-15 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर अनुमोदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है । राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है । उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रित वनोपज का विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार किये गये हैं, जिसकी प्रति अनुमोदन हेतु संलग्न है ।

उक्त तैयार वित्तीय पत्रक की प्रति अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ अंकेक्षक को प्रेषित की जा चुकी है ।

## विषय क्रमांक - 6

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति ।**

संघ के संचालक मण्डल के 54वी बैठक में वर्ष 2014-15 से अंकेक्षण कार्य चार्टर्ड एकाउटेन्ट से कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।


छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मिलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है ।

वर्ष 2015-16 का अंकेक्षण कार्य चार्टर्ड एकाउटेन्ट से कराये जाने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाए छ.ग. द्वारा पत्र क्रमांक 2972 दिनांक 15.06.2015 में दर्शाए गये रायपुर स्थित चार्टर्ड एकाउटेन्ट के पैनल में से उक्त कार्य हेतु प्राप्त 11 ऑफर/दरों की तुलनात्मक वरीयता क्रम में एकजाई सूची संलग्न प्रेषित है । अतः संलग्न सूची में से वर्ष 2015-16 के अंकेक्षक नियुक्ति संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ के वार्षिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

**वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण हेतु प्राप्त ऑफर का तुलनात्मक विवरण**

अ.क्र	ऑफर क्रमांक	संपरीक्षक फर्म का नाम एवं पता	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्त ऑफर दर (रु.)
1	2	3	4
1	29	मेसर्स सुनील जोहरी एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) 110 प्रथम मंजिल, वालफोर्ट ओजोन फाफाडीह, रायपुर छ.ग. 492009	10,000.00
2	2	मेसर्स खडेलवाल अशोक एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) प्रथम मंजिल, एलआईसी बिल्डिंग के सामने, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर छ.ग. 492004	19,900.00
3	59	अनुशील कुमार एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) द्वितीय मंजिल, एस.के. मेडिकल बुक हाउस, महारकर गली, कचहरी चौक, रायपुर छ.ग.	49,000.00
4	83	बंशी जैन एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) टी-6 तीसरी मंजिल, श्याम प्लाजा, पंडरी बस स्टैंड के सामने, रायपुर छ.ग. 492001	50,000.00
5	100	बिनोद जैन एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) दुकान नंबर 213, द्वितीय मंजिल, ऋषभ काम्प्लेक्स, एम.जी. रोड रायपुर 492001	100,000.00
6	27	बतरा दीपक एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) कार्यालय नंबर 28, द्वितीय मंजिल, अशोका प्लाजा काम्प्लेक्स, अशोकारतन, खम्हारडीह के पास, विधानसभा रोड, रायपुर छ.ग. 492001	100,000.00
7	55	मेसर्स वी.रावल एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) 211 द्वितीय मंजिल, देशबंधु काम्प्लेक्स, अग्रसेन चौक, समता कालोनी, रायपुर छ.ग.	105,000.00
8	103	मेसर्स एस. चंद्राकर एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) 211, द्वितीय तल, देशबंधु काम्प्लेक्स, अग्रसेन चौक, समता कालोनी, रायपुर - 492009	115,000.00
9	49	ए.के. चंदेरिया एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) श्री जर्नादन बला महामाया के पास, हॉस्पिटल रोहणीपुरम, रायपुर छ.ग. 492001	135,000.00
10	26	मेसर्स अग्रवाल गुप्ता एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) प्रथम मंजिल, मसनस-6, सेक्टर 1 शंकरनगर, रायपुर छ.ग. 492007	239,000.00
11	9	जैन एण्ड अग्रवाल (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) ए-24 प्रथम मंजिल, श्री महावीर गौशाला काम्प्लेक्स, के.के. रोड, मौधापारा, रायपुर छ.ग.	300,000.00

  
प्रबंधक (लेखा)  
सदस्य

  
प्रबंधक (वित्त)  
सदस्य

  
कार्यकारी संचालक-2  
अध्यक्ष

28/9/15

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित  
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक-1	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री कौशलेन्द्र कुमार (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक-2	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री व्ही.एस.लकड़ा (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-1	वन संरक्षक
5.	श्रीमती संजीता गुप्ता (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-2	वन संरक्षक
6.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक	उप वनसंरक्षक
7.	श्री यू.बी.एस. राठिया	सचिव	संयुक्त पंजीयक
8.	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
9.	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)-
10.	श्री विवेक राय	प्रबंधक (लेखा)	प्रबंधक (लेखा)
11.	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ आफिसर
12.	श्री डी.के. श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी